अध्याय-III
राज्य आबकारी

अध्याय-III
राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभाग का अध्यक्ष होता है। विभाग को तीन अंचलों[1] में विभाजित किया गया है, जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण अंचल), उत्तरी अंचल एवं केन्द्रीय अंचल के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 255 आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को आबकारी शुल्कों एवं संबद्ध करों के उद्ग्रहण/संग्रहण का अनुश्रवण तथा विनियमन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

राज्य आबकारी शुल्क से सम्बन्धित 2016-17 में 10 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच से ₹144.30 करोड़ से निहित 29 मामलों में आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/शास्ति एवं अन्य अनियमितताओं की गैर/अल्प वसूली उद्घाटित हुई जो नीचे दर्शाई गई है।

तालिका-3.1: लेखापरीक्षा परिणाम

₹ करोड़ में

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	*'शराब की भट्टियों के कार्यचालन सहित राज्य आबकारी विभाग का कार्यचालन'* पर निष्पादन लेखापरीक्षा	01	132.46
2	आबकारी शुल्क की गैर/अल्प वसूली	01	0.06
3.	लाइसेंस फीस/ब्याज/शास्ति इत्यादि की गैर/अल्प वसूली	16	6.85
4.	अन्य अनियमितताएं	11	4.93
योग		**29**	**144.30**

विभाग ने वर्ष 2016-17 के दौरान 12 मामलों में ₹93.12 करोड़ का अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से विगत वर्षों से संबंधित 12 मामलों में ₹46.75 लाख की राशि वसूल की गई थी।

₹132.46 करोड़ की वित्तीय अंतर्निहितता पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹3.50 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कुछ आवश्यक मामलों की अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

[1] दक्षिण जोन (शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर तथा स्पिति क्षेत्र), उत्तर जोन (चम्बा, कांगड़ा तथा ऊना) तथा केन्द्रीय जोन (बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल क्षेत्र तथा मण्डी)।

3.3 'शराब की भट्टियों के कार्यचालन सहित राज्य आबकारी विभाग का कार्यचालन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

- *बीयर उत्पादन में अपशिष्ट को नियमों में बिना किसी प्रावधान किये अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹2.44 करोड़ के आबकारी शुल्क की हानि ।*

(पैराग्राफ 3.3.8)

- *एक राज्य में 29 बिक्री केन्द्रों को उनकी कार्यक्षमता की तुलना में शराब के कोटे का अल्प आवंटन अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹4.12 करोड़ की लाइसेंस फीस का अल्पोद्ग्रहण ।*

(पैराग्राफ 3.3.10)

- *वर्ष 2015-16 के दौरान 73 बिक्री केन्द्रों द्वारा शराब कोटे को अधिक उठाने के कारण ₹1.82 करोड़ की लाइसेंस फीस की हानि हुई ।*

(पैराग्राफ 3.3.11)

- *पांच राज्यों के 358 बिक्री केन्द्रों द्वारा न्यूनतम गारंटीड़ कोटा को कम उठाने पर विभाग ने ₹4.94 करोड़ की अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण नहीं किया।*

(पैराग्राफ 3.3.14)

- *तीन शराब की भट्टियों द्वारा एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल के उत्पादन पर विभाग ने ₹18.29 करोड़ के आबकारी शुल्कका उद्ग्रहण नहीं किया।*

(पैराग्राफ 3.3.16)

- *सिरमौर राज्य की शराब भट्टी द्वारा बीयर को निर्यात करने पर विभाग ने ₹8.46 करोड़ के आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया।*

(पैराग्राफ 3.3.17)

3.3.1 परिभाषा

आबकारी शुल्क कर राजस्व का एक मुख्य स्रोत हैं, जो कि विनिर्माण, भड़ारण, बिक्री, शराब के आयात व निर्यात पर उद्गृहित व संग्रहित किया जाता है तथा औषधीय एवं शौचालय उपक्रम (एम. एण्ड़ टी. पी.) पर आबकारी शुल्क संग्रहित किया जाता है। राज्य में आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण व संग्रहण हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 1, धारा 3 के उपबन्ध (3), (5), (6), (6-बी), 9, 10, 11, 12, (12-ए), (14), (16), (19) तथा (21), पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धाराओं 16, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33-ए, 58, 59 एवं 60 में निहित प्रावधानों के द्वारा संचालित किया जाता है। शराब के लिए लाइसेंस को प्रदान करना हिमाचल प्रदेश शराब लाइसेंस नियम, 1986 द्वारा संचालित किया जाता है। शराब की भट्टियों के कार्याचलन को पंजाब आसवनी नियम, 1932 के द्वारा संचालित किया जाता है। औषधीय एवं शौचालय पदार्थ पर आबकारी शुल्क अल्कोहल, अफीम, भारतीय गांजा अथवा अन्य मादक दवा या मादक को औषधीय एवं शौचालय पदार्थ अधिनियम, 1955 (संघ अधिनियम) द्वारा संचालित किया जाता है तथा राज्य के आबकारी विभाग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किया जाता है।

3.3.2 संगठनात्मक ढ़ांचा

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। आबकारी एवं कराधान विभाग की अध्यक्षता आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा की जाती हैं जो कि आबकारी कानूनों के अंतर्गत अपीलीय और अनंतिम प्राधिकारी के रूप में अर्ध-न्यायिक शक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न राजकोषीय उपायों के अधीक्षण तथा प्रशासन के कार्य से सशक्त है। विभाग को तीन अंचलों में विभाजित किया गया है, जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण अंचल), उत्तरी अंचल एवं केन्द्रीय अंचल के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की

जाती है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 255 आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों की तैनाती शराब भट्टियों/बॉटलिंग संयत्रों एवं मद्य-निर्माणशालाओं तथा सर्कलों में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन आबकारी शुल्कों एवं सम्बन्धित करों के उद्ग्रहण/संग्रहण का अनुश्रवण तथा विनियमन करने के लिए की जाती है।

3.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संचालित की गई थी कि:

- आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत उत्पाद शुल्क, फीस, पर्यवेक्षण प्रभारों का उद्ग्रहण व संग्रहण सही ढ़ग और कुशलता से किया जा रहा है;
- राज्य में कार्य कर रही शराब की भट्टियों/बॉटलिंग संयत्रों से आबकारी शुल्क/स्थापना का मूल्य का संग्रहण समय पर तथा पूर्ण रूप से किया जा रहा हैं;
- विनिर्माण से औषधीय एवं शौचालय उपक्रम अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण सही ढ़ग से किया जा रहा था;
- राजस्व का अनुकूलतम संग्रहण तथा विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों का उचित प्रवर्तन किया जा रहा है तथा
- आबकारी एवं कराधान विभाग में पर्याप्त तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण अस्तित्व में हैं।

3.3.4 लेखापरीक्षा की पद्धति एवं विषय क्षेत्र

'शराब की भट्टियों के कार्यचालन सहित राज्य आबकारी विभाग का कार्यचालन' की निष्पादन लेखापरीक्षा में 2011-12 से 2015-16 की अवधि को आवृत किया है जो जनवरी 2017 से मई 2017 के मध्य राज्य में आबकारी एवं कराधान आयुक्त एवं 13 क्षेत्रीय कार्यालयों में से छः क्षेत्रीय कार्यालयों जिनके अधीन 20 में से 16 शराब भट्टियों/मद्य-निर्माणयालाओं/बॉटलिंग संयत्रों के कार्यालय है, में आयोजित की गई।

एक प्रारम्भिक सम्मेलन प्रधान सचिव (आबकारी), हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ अप्रैल 2017 में आयोजित किया गया था जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित करने के उद्देश्यों, विषय क्षेत्र तथा पद्धति की चर्चा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन विभाग तथा सरकार को जुलाई 2017 में अग्रेषित किया गया था अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) एवं संयुक्त आयुक्त (आबकारी) के साथ अगस्त 2017 में अंतिम सम्मेलन आयोजित किया गया था।

3.3.5 लेखापरीक्षा मापदंड़

लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्ष के संचालन हेतु निम्न लेखापरीक्षा मापदंड़ अपनाए:

- हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011,
- पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914,
- पंजाब आसवनी नियम, 1932,

- 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए आबकारी आवंटन की घोषणाये,
- हिमाचल प्रदेश शराब लाइसेंस नियम, 1986; तथा
- औषधीय एवं शौचालय पदार्थ अधिनियम, 1955

3.3.6 राजस्व की प्रवृति

राज्य आबकारी शुल्क की वास्तविक प्राप्तियां 2011-12 में ₹707.36 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹1,131.22 करोड़ हुई। यह राज्य सरकार की कुल कर प्राप्तियों के 16.89 से 18.58 प्रतिशत के मध्य थी।

सारणी-3.2: कुल कर प्राप्तियों तथा राज्य आबकारी शुल्क राजस्व का विवरण

			₹ करोड़ में
वर्ष	राज्य आबकारी शुल्क प्राप्ति	कुल कर प्राप्तियां	कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2011-12	707.36	4,107.92	17.21
2012-13	809.87	4,626.17	17.50
2013-14	951.96	5,120.91	18.58
2014-15	1,044.14	5,940.16	17.57
2015-16	1,131.22	6,695.81	16.89

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य आबकारी शुल्क के अंतर्गत राजस्व संग्रहण 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान घटती प्रवृति को दर्शाता है तथा यह 2013-14 में 18.58 प्रतिशत से 2015-16 में 16.89 प्रतिशत तक नीचे आ गया।

प्रणाली में कमियां

3.3.7 शीरा से स्पिरिट का कम उत्पादन

पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.37 में प्रावधान है कि एक माउंड़ (0.373 क्विंटल) शीरा को देसी स्पिरिट के 3.5 लंदन प्रूफ गैलन (15.391 प्रूफ लीटर) के बराबर माना जाएगा।

ऊना जिला में एक शराब भट्टी[2] ने 2011-12 तथा 2015-16 के दौरान परिशोधित स्पिरिट के निर्माण हेतु 66,168 क्विंटल शीरा लगाया। शराब की भट्टी ने 27,30,092 प्रूफ लीटर उत्पादन के प्रति वास्तव में 23,83,348 प्रूफ लीटर शीरा का उत्पादन प्रतिवेदित किया। वास्तविक उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:

सारणी-3.3: शीरा से स्पिरिट का उत्पादन

वर्ष	उपयोग किये गए शीरे की मात्रा (प्रूफ लीटर)	नियमों के अनुसार उत्पादन (प्रूफ लीटर)	वास्तविक उत्पादन (प्रूफ लीटर)	कम उत्पादन (प्रूफ लीटर)	कम उत्पादन (बल्क लीटर) (1 बल्क लीटर =1.68 प्रूफ लीटर)	उद्ग्राह्य आबकारी शुल्क 10/- रू0 एवं 11/- रू0 प्रति बल्क लीटर
2011-12	52,095	21,49,440	19,01,468	2,47,972	1,47,602	14,76,020
2015-16	14,073	5,80,652	4,81,880	98,772	58,793	6,46,723
योग	**66,168**	**27,30,092**	**23,83,348**	**3,46,744**	**2,06,395**	**21,22,743**

इस प्रकार, ₹21.23 लाख के आबकारी शुल्क से संलिप्त 2,06,395 बल्क लीटर स्पिरिट का कम उत्पादन हुआ था। यह मामला वर्ष 2009 में आसवनियों की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा के पैराग्राफ संख्या 3.2.14 में भी विशेष रूप से इंगित किया गया था, तब राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2009) कि बदली हुई परिस्थितियों के कारण पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के अंतर्गत

[2] मै. आर.बी.एल. लिमिटेड़

उत्पादन करने के लिए नियत किये गए मानदंड़ों का पालन करना सम्भव नहीं था। यद्यपि, वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार मानदंड़ों को पुन: निर्धारण करने के लिए कदम उठाए जा रहे थे।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने स्वीकार किया (सितम्बर 2017) कि उत्पादन दर का पुन: निर्धारण नहीं किया गया था तथा वास्तविक उत्पादन किसी नियम के अभाव में अनुमत किया जाए। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि मानदंड स्पिरिट की चोरी को रोकने तथा संभावित राजस्व की वसूली करने के लिए अपेक्षित थे ।

3.3.8 अमान्य अपव्यय पर शुल्क की हानि

पंजाब मद्यनिर्माणशाला नियमावली, 1956 के नियम 35(1), जो हिमाचल प्रदेश में लागू है, में प्रावधान है कि बीयर पर शुल्क, वास्तव में निर्मित किये गए शराब की कुल मात्रा जिसे कि लाइसेंसधारी द्वारा मद्य-निर्माण बुक में दर्ज किया गया है, या निरीक्षक द्वारा पता लगाया गया तथा उसकी सर्वेक्षण बुक फार्म बी-6 में दर्ज किया गया है, जो भी उच्चत्तर हो, अपव्यय कि लिए 8 प्रतिशत शुल्क कम करके निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाएगा।

दो मद्य-निर्माणशालाओं[3] की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान सोलन तथा सिरमौर जिलों में दो मद्य-निर्माणशालाओं के बोतलीकरण टेंकों में 344.89 बल्क लीटर निर्मित बीयर प्राप्त की गई थी। इसमें से, बोतलीकरण के स्तर तक पहुंचने के उपरान्त बीयर के14.88 लाख बल्क लीटर अपव्यय का दावा किया गया तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा इसे अनुमत कर दिया गया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवम्बर 1996 में एक मामले में सम्मिलित मै. मोहन मेकिन लिमिटेड़ बनाम आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश तथा अन्यों पर गुण के आधार पर निर्णय दिया था कि आबकारी शुल्क उस समय शुल्क के लिए मान्य था जब निर्मित उत्पाद बिना किसी अपव्यय के निगमन को विनिर्दिष्ट किये अर्थात् बॉटलिंग टैंक में बीयर प्राप्त कर ली गई हो अथवा निर्मित उत्पाद भण्ड़ारण या गोदाम इत्यादि के स्थान से हटाया गया हो। इस प्रकार, बीयर में अपव्यय की अनुमति अमान्य थी जिसके परिणामस्वरूप ₹2.44 करोड़ के आबकारी शुल्क की हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर ने संबंधित मद्यनिर्माणशाला से संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन ने उत्तर दिया कि वास्तविक अपव्यय ही अनुमत किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के नवम्बर 1996 के निर्णय के अनुसार अपव्यय स्वीकार्य नहीं था।

3.3.9 टूट-फूट की अनियमित स्वीकृति

हिमाचल प्रदेश शराब लाइसेंस नियमावली, 1986 में देश के थोक आपूर्तिकर्त्ता को शराब और बीयर सहित विदेशी शराब के परिवहन, भंड़ारण तथा निर्गमन में टूट-फूट अथवा रिसाव के कारण किसी प्रकार के अपव्यय को निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, आबकारी एवं कराधान निरीक्षक जिसको थोक आपूर्तिकताओं के लेखों के अनुरक्षण का कार्य सुपुर्द किया गया है, का उत्तरदायित्व है कि वह की गई टूट-फूट की प्रत्यक्ष जांच द्वारा हुए वास्तविक अपव्यय सहित समस्त लेन-देन का अभिलेख रखेगा। हिमाचल प्रदेश शराब लाइसेंस नियमावली, 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार समस्त लाइसेंसधारी उल्लिखित फार्मो में प्राप्तियों एवं बिक्रयों के लेखों का अनुरक्षण करेगें और प्रत्येक मास

[3] सिरमौर: कार्ल्सबर्ग इंड़िया लिमिटेड़: ₹1.24 करोड़ तथा सोलन: मोहन मेकिन मद्यनिर्माणशाला: ₹1.20 करोड़

के अंत पर आगामी मास की पांच तारीख तक प्राप्तियों एवं बिक्रयों का वास्तविक सार तैयार करेंगे तथा आबकारी एवं कराधान निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के चार कार्यालयों के वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि एल-13 तथा एल-1[4] लाइसेंसधारियों ने थोक बिक्री केद्रों से परिवहन, भंड़ारण एवं निर्गमन के दौरान देशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर के 57,757 प्रूफ लीटर, 36,648 प्रूफ लीटर तथा 1,567 बल्क लीटर की टूट-फूट दर्शाई थी। आबकारी अधिकारियों अर्थात आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी एवं कराधान निरीक्षक ने न ही लाइसेंसधारियों द्वारा अनुरक्षित पंजिकाओं अथवा न ही अन्य किसी अभिलेखों में टूट-फूट की जांच की थी और इन लाइसेंसधारियों द्वारा दावा की गई टूट-फूट को उसी रूप में लिया गया था। किसी प्रकार के मानदंड तथा आबकारी अधिकारी द्वारा टूट-फूट की प्रत्यक्ष जांच के अभाव में इस आधार पर कटौती अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस के रूप में ₹1.83 करोड़[5] के आबकारी राजस्व की हानि हुई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि थोक बिक्री लाइसेंसधारकों (एल-1 तथा एल-13) द्वारा प्रस्तुत की गई अभिलेखों की प्रतिलिपियां छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालयों में से किसी में भी उपलब्ध नहीं थी।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि हिमाचल प्रदेश शराब लाइसेंस नियमावली, 1986 में कोई प्रावधान न होने के मद्देनजर; पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के अनुसार 0.50 प्रतिशत का अपव्यय स्वीकार्य था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित आबकारी एवं कराधान अधिकारियों ने बिना जांच किये लाइसेंसधरियों द्वारा दावा किये गए अपव्यय को स्वीकृत किया था।

अनुपालना में कमियां

3.3.10 बिक्री केद्रों का कोटा नियत करना

आबकारी एवं कराधान आयुक्त-सह-वित्तीय आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, के पास अधिकार है कि वह समस्त अथवा किसी लाइसेंसधारक या बिक्री केन्द्रों के पूर्व-निर्धारित संयोजन जिसे 'इकाई' की संज्ञा दी है, को राजस्व लाभ की दृष्टि से आवंटन द्वारा अथवा नीलामी द्वारा या निजी अनुबंध द्वारा या निविदाएं आमत्रंण द्वारा या समझौता द्वारा या लॉट्स के आहरण द्वारा या नवीकरण द्वारा अथवा अन्य किसी प्रबन्धन द्वारा बिक्री केन्द्र को बेच सकता है।

आबकारी घोषणा के खंड़ 4.1 के अनुसार संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/ आबकारी एवं कराधान अधिकारी, जिला प्रभारी संबंधित अंचल के समाहर्ता (आबकारी) के परामर्श से जिले में प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए न्यूनतम गारंटीड़ कोटा एवं जिला-वार कोटा आवंटित करेगा। तथापि, जिला स्तर पर विभिन्न इकाईओं/बिक्री केन्द्रों को देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के कोटे के वितरण के दौरान संबंधित समाहर्ता (आबकारी) तथा जिला प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक विशेष इकाई/बिक्री केन्द्र द्वारा पूर्ववर्ती मार्च तक उठाए गए देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के अतिरिक्त कोटे की मात्रा को प्रत्येक इकाई/बिक्री केन्द्र के कोटे के आंकड़ों में भी सम्मिलित किया गया है। किसी विशेष बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस उस

[4] एल-1: भारत में निर्मित विदेशी शराब का थोक-बिक्रेता बिक्री केन्द्र तथा एल-13: देशी शराब का थोक-बिक्रेता बिक्री केन्द्र

[5] मण्ड़ी: ₹83.00 लाख, नुरपूर: ₹38.00 लाख, सिरमौर: ₹52.00 लाख तथा ऊना: ₹10.00 लाख

वर्ष की लाइसेंस फीस की दरों पर सम्पूर्ण वर्ष के लिए उस बिक्री केन्द्र हेतु नियत किये गए देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के न्यूनतम गारंटीड़ कोटे पर आधारित है।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर के 2015-16 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि यहां तक कि बिना किसी औचित्य के 19 बिक्री केन्द्रों में पिछले वर्ष (अर्थात 2014-15)के उठाए गए कोटा (देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब) की तुलना में शराब का कोटा कम आवंटित किया गया था, जबकि इन बिक्री केन्द्रों ने पिछलें चार वर्षो में आबंटित न्यूनतम गारंटीड़ कोटा को उठा लिया था। इस प्रकार, 19 बिक्री केन्द्रों को इनकी क्षमता की तुलना में कम कोटे के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹3.23 करोड़ की वार्षिक लाइसेंस फीस का अल्पोद्ग्रहण हुआ था।

आगे, सिरमौर के 10 अन्य बिक्री केन्द्रों को कोटे का आबंटन विगत वर्ष अर्थात 2014-15 के दौरान 75,278 प्रूफ लीटर (देशी शराब) तथा 93,426 प्रूफ लीटर (भारत में निर्मित विदेशी शराब) के प्रति 2015-16 में इन बिक्री केन्द्रों को 60,643 प्रूफ लीटर (देशी शराब) तथा 66,568 प्रूफ लीटर (भारत में निर्मित विदेशी शराब) इनकी क्षमता के प्रति कम नियत किया गया था। परन्तु इन बिक्री केन्द्रों के उत्तोलन तथा उपभोग की विवरणियों के अवलोकन से उद्घाटित हुआ कि इन 10 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारकों ने 2015-16 के दौरान रिआयती दरों पर 1,602 प्रूफ लीटर (देशी शराब) तथा 1,305 प्रूफ लीटर (भारत में निर्मित विदेशी शराब) का अतिरिक्त कोटा उठाया था। इस प्रकार, इन 10 बिक्री केन्द्रों को आरंभिक कोटे के कम आबंटन के परिणामस्वरूप ₹89.00 लाख की वार्षिक लाइसेंस फीस का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि मुख्यालय द्वारा नियत किये गए कोटे/लाइसेंस फीस के अनुसार उचित बोली/निविदा प्राप्त न होने के कारण इन 19 बिक्री केन्द्रों को जिला स्तर पर कोटा आबंटित नहीं किया जा सका तथा समझौता होने के बाद मुख्यालय स्तर पर कोटा/लाइसेंस फीस नियत की गई थी। इसके अलावा, सिरमौर जिला में समझौता द्वारा बिक्री केन्द्रों को आबंटन करने के कारण मुख्यालय स्तर पर भारत में निर्मित विदेशी शराब का कोटे में वृद्धि की गई जबकि देशी शराब के कोटे में कमी की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 29 बिक्री केन्द्रों (19 +10) के संबंध में कोटे में की गई कमी के लिए तार्किक कारण प्रस्तुत नहीं किये गए थे।

3.3.11 कोटा का अधिक उठाया जाना

वर्ष 2015-16 के लिए आबकारी घोषणा के खंड 4.4 के अनुसार, एक बिक्री केन्द्र/इकाई/इकाईयों के लिए लाइसेंस फीस आबंटित कोटे के आधार पर पूर्व निर्धारित होती है। अतिरिक्त कोटा आबकारी घोषणा के खंड 4.6 के अनुसार, निर्धारित लाइसेंस फीस के भुगतान पर आबंटित कोटे को उठाए जाने के पश्चात् दिया जाता है।

नमूना जांच किये गए छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा आबकारी एवं कराधान आयुक्त को प्रस्तुत की गई वार्षिक विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नमूना जांच किये गए 477 बिक्री केन्द्रों में से 73 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारकों ने 2015-16 के दौरान 9,53,864 प्रूफ लीटर आवंटित कोटा के प्रति 10,44,627 प्रूफ लीटर कोटा उठाया था। यद्यपि, कोटा के आधार पर पूर्व-निर्धारित राशि के आधार पर लाइसेंस फीस का भुगतान कर दिया गया था तथा अधिक उठाए गए कोटे पर किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था। कोटा को अधिक उठाए जाने पर एम-2 रजिस्टर[6] के अनुसार लाइसेंस

[6] बिक्री केन्द्रों से वसूल की गई लाइसेंस फीस के विवरण को दर्शाता एक रजिस्टर

फीस की न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही लाइसेंसधारकों ने भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप 90,764 प्रूफ लीटर (देशी शराब: 48,080 प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 42,684 प्रूफ लीटर) कोटा को अधिक उठाए जाने पर लाइसेंस फीस के रूप में ₹1.82 करोड़[7] की राशि की राजस्व हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि उठाये गये कोटे तथा आवंटित किये गए कोटे में विभिन्नता देशी शराब का भारत में निर्मित विदेशी शराब के कोटे में रूपान्तरण करना तथा इसके विपरीत भारत में निर्मित विदेशी शराब के कोटे का देशी शराब के कोटे में रूपान्तरण करना हो सकता है। आगे आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन ने ₹26.41 लाख में से ₹0.61 लाख वसूल कर लिए थे तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी ने राशि को वसूल करने के लिए निर्देशों को जारी कर दिया था।

3.3.12 उठाए जाने की अपेक्षा अधिक खपत के कारण राजस्व की संदिग्ध चोरी

राज्य के लिए सरकार द्वारा देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब का न्यूनतम गारंटीड कोटा प्रूफ लीटरों में नियत किया गया है। इसे आगे जिला स्तर पर जिले के संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए आबंटित किया जाता है। आबकारी घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 4.3 के अनुसार एक लाइसेंसधारक से मासिक न्यूनतम कोटा के आधार पर नियत की गई वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान अपेक्षित है। पैराग्राफ 4.4(क) में प्रावधान है कि एक विशेष बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस प्रत्येक वर्ष के लिए लाइसेंस फीस की निर्धारित दरों पर निश्चित देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के न्यूनतम गारंटीड कोटा के आधार पर पूर्व निर्धारित की जाएगी। लाइसेंस फीस को 12 मासिक किस्तों में विभक्त किया जाएगा तथा लाइसेंसधारक प्रत्येक मास के अंतिम दिन तक सरकार के कोषागार में जमा करवाएगें।

एक बिक्री केन्द्र का कोटा आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किये गए आबकारी पासों के अनुसार उठाया जाता है जो सुनिश्चित करता है कि शराब का कोटा आवंटन के अनुसार ही उठाया जाता है। लाइसेंसधारक द्वारा आबकारी अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में बिक्री केन्द्र स्थापित है, को मासिक आधार पर ब्रांड़-वार बिक्री केन्द्र में शराब की खपत का ब्यौरा दिया जाता है। तदुपरान्त आबकारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिक्री केन्द्र के संबंध में उठाने तथा खपत की जाने की विवरणियां संबंधित जिला को मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है तथा जिले की उठाने एवं खपत की जाने की समेकित विवरणियां आबकारी एवं कराधान आयुक्त को प्रस्तुत की जाती है।

तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 114 लाइसेंसधारकों में से 45 लाइसेंसधारकों ने वर्ष 2015-16 के दौरान उनके द्वारा उठाए गए 41,15,083 प्रूफ लीटर शराब के प्रति (देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब) के 41,33,098 प्रूफ लीटर शराब की खपत की गई थी। अत: उन्होने उठाए गए कोटे से 18,015 प्रूफ लीटर की आधिक्य खपत (बिक्री) की थी। इसके लिए यद्यपि कारण मांगे गए थे, परन्तु उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इस प्रकार, 45 लाइसेंसधारकों द्वारा शराब के 18,015 प्रूफ लीटर का आधिक्य उपार्जन तथा खपत के परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस के अनुद्ग्रहण के रूप में ₹34.54 लाख[8] के राजस्व की हानि हुई।

[7] बद्दी: ₹46 लाख, मण्ड़ी: ₹34 लाख, सिरमौर: ₹58 लाख, सोलन: ₹26 लाख तथा ऊना: ₹18 लाख

[8] बद्दी: ₹6.34 लाख, नूरपुर: ₹24.99 लाख तथा सोलन: ₹3.21 लाख

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) सूचित किया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन ने ₹0.34 लाख वसूल कर लिए थे जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी एवं नूरपुर ने संबंधित आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को खपत का मिलान करने तथा राशि को वसूल करने हेतु निर्देश दिए थे।

3.3.13 लाइसेंस फीस की अल्प-वसूली

आबकारी घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 4.3 के अनुसार एक लाइसेंसधारक से मासिक न्यूनतम कोटा के आधार पर नियत की गई वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान अपेक्षित है। पैराग्राफ 4.4(क) में प्रावधान है कि एक विशेष बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस प्रत्येक वर्ष के लिए लाइसेंस फीस की निर्धारित दरों पर निश्चित देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के न्यूनतम गारंटीड कोटा के आधार पर पूर्व निर्धारित की जाएगी। लाइसेंस फीस को 12 मासिक किस्तों में विभक्त किया जाएगा तथा लाइसेंसधारक प्रत्येक मास के अंतिम दिन तक सरकार के कोषागार में जमा करवाएगें। मार्च मास की अंतिम किस्त का शराब को जारी करने हेतु पार-पत्र प्राप्त करने से पूर्व 15 मार्च तक फीस का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा। आगे, पैराग्राफ 4.5(ए) के अनुसार लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस की भुगतान नहीं की गई राशि पर एक मास/एक मास से अधिक की अवधि तक विलम्ब के लिए 14/18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 73(2) में प्रावधान है कि राज्य सरकार को देय समस्त अन्य राशि जो कि देय तिथि के बाद भुगतान के लिए रह जाती है, वह राशि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्ड़ी (एक बिक्री केन्द्र) तथा ऊना के आठ बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारकों ने वर्ष 2015-16 के लिए पूर्व निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस ₹57.10 करोड़ के प्रति ₹47.09 करोड़ लाइसेंस फीस जमा की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹10.01 करोड़[9] राशि की लाइसेंस फीस की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की तिथि (अप्रैल 2017) तक भुगतान नहीं की गई राशि पर ₹1.91 करोड़ का ब्याज भी प्रोद्भूत था।

इन मामलों को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में घोषित किये जाने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना ने कुल 10 इकाईयों में से आठ बिक्री केन्द्रों में ₹9.55 करोड़ को भू-राजस्व के बकाया के रूप में घोषित कर दिया था जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्ड़ी ने लाइसेंस फीस की वसूली को भू-राजस्व के बकाया के रूप में घोषित नहीं किया था। आगे, विभाग ने केवल एक इकाई में लाल स्याही से प्रविष्टि की थी तथा ऊना की शेष सात इकाईयों में लाल स्याही से प्रविष्टि अभी भी की जानी थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि भुगतान नहीं की गई राशि के मामलें में इस राशि को चूककर्त्ता के राजस्व अभिलेख में लाल स्याही से प्रविष्टि करने के साथ ही भू-राजस्व के बकाया के अंतर्गत बकाया घोषित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऊना जिले में अंतर्ग्रस्त आठ इकाईयों में से सात इकाईयों में चूककर्त्ताओं के राजस्व पत्रों में अभी तक लाल स्याही से प्रविष्टि नहीं की गई थी।

[9] मण्ड़ी: एक मामला: ₹5.00 लाख एवं ब्याज: ₹0.98 लाख तथा ऊना: आठ मामले: ₹9.96 करोड़ एवं ब्याज: ₹1.90 करोड़

3.3.14 न्यूनतम गारंटीड कोटा को कम उठाने पर अतिरिक्त फीस का अनुद्ग्रहण

राज्य के लिए सरकार द्वारा देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब का न्यूनतम गारंटीड कोटा प्रूफ लीटरों में नियत किया गया है। जिला स्तर पर इसे आगे जिले के संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए आवंटित किया जाता है।

आबकारी घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 4.3 में अनुबंध है कि प्रत्येक लाइसेंसधारक को त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए नियत किया गया न्यूनतम गारंटीड कोटा उठाना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल रहने पर भी वह न्यूनतम गारंटीड कोटा के आधार पर निश्चित की गई लाइसेंस फीस का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के नहीं उठाए गए न्यूनतम गारंटीड कोटा पर लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस के भुगतान के अतिरिक्त ₹10 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹56 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर अतिरिक्त फीस की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड कोटे के 100 प्रतिशत से कम होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी ₹7 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹14 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर शास्ति की अदायगी हेतु भी उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड कोटे के 80 प्रतिशत बैंच-मार्क से कम होगा। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी तिमाही आधार पर न्यूनतम गारंटीड कोटे को उठाने की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी से अतिरिक्त फीस के साथ-साथ शास्ति की राशि की वसूली सुनिश्चित करेगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में नमूना जांच किये गए 529 बिक्री केन्द्रों में से 358 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारकों ने निश्चित किये गए न्यूनतम गारंटीड कोटा 78,14,755 प्रूफ लीटर कोटे के प्रति 63,02,880 प्रूफ लीटर शराब उठाई थी, जो कि 2015-16 के दौरान 15,11,875 प्रूफ लीटर (देशी शराब: 7,67,376 प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 7,44,499 प्रूफ लीटर) कम थी। न्यूनतम गारंटीड कोटे को कम उठाए जाने पर भुगतान योग्य ₹4.94 करोड़[10] की अतिरिक्त फीस का न तो लाइसेंसधारकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा इसकी मांग की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.94 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 358 बिक्री केन्द्रों में से 24 लाइसेंसधारियों ने 3,37,822 प्रूफ लीटर न्यूनतम गारंटीड कोटा नहीं उठाया जोकि 2015-16 के लिए न्यूनतम गारंटीड कोटा के 80 प्रतिशत बैंच-मार्क से कम था, जिस पर ₹40.70 लाख की शास्ति का उद्ग्रहण किया जाना अपेक्षित था परन्तु इन लाइसेंसधारियों से इसका भी उद्ग्रहण/मांग नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि मामले प्रक्रियाधीन थे। आगे, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन ने ₹5.69 लाख की राशि को वसूल कर लिया था तथा ऊना जिला में बकाया राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में घोषित किया गया था।

3.3.15 लाइसेंस फीस के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की वसूली न करना

आबकारी घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 4.4(डी) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी एक मास के भीतर निर्धारित गारंटीड कोटा उठाने में असमर्थ है, तो उसे उस मास के लिए लाइसेंस फीस की पूर्ण मासिक किस्त की अदायगी उस मास के अंतिम दिन तक तथा मार्च मास की फीस के लिए पूर्ण रूप

[10] बद्दी: अतिरिक्त फीस: ₹29.70 लाख, मण्ड़ी: अतिरिक्त फीस: ₹1.01 करोड़, सिरमौर: अतिरिक्त फीस: ₹9.27 लाख, सोलन: अतिरिक्त फीस: ₹40.56 लाख तथा ऊना: अतिरिक्त फीस: ₹3.13 करोड़

से अदायगी दिनांक 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। पैराग्राफ 4.5(ए) में आगे प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथियों को लाइसेंस फीस की बची हुई राशि की अदायगी करने में विफल रहता है तो एक मास तक 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से तथा उसके बाद 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का उद्ग्रहण किया जाएगा।

छ: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 348 बिक्री केन्द्रों में से 160 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने लाइसेंस फीस ₹80.76 करोड़ की राशि को देय तिथि के उपरान्त अप्रैल 2015 तथा जून 2016 के मध्य एक से 385 दिनों के विलम्ब से जमा करवाया था। अत: वे लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगियों पर ₹1.44 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, परन्तु सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने इसकी मांग नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि निर्धारित परिस्थितियों के अनुसार ब्याज की वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिये गए थे।

3.3.16 एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर आबकारी शुल्क का अनुद्ग्रहण

पंजाब आबकारी अधिनियम, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में लागू होता है, की धारा 23 में प्रावधान है कि इस नियम के अंतर्गत स्थापित अथवा लाइसेंस प्राप्त किये हुए किसी आसवनी, मद्य-निर्माणशाला, गोदाम अथवा भंड़ारण के किसी अन्य स्थान से कोई मादक पदार्थ तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक अध्याय-V के अंतर्गत भुगतान योग्य किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जा चुका हो अथवा इसके भुगतान हेतु एक वॉंड़ का निष्पादन न किया गया हो। आगे, वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए हिमाचल प्रदेश आबकारी घोषणाओं के अध्याय 5.2 में ₹10.00 से ₹11.00 प्रति बल्क लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर आबकारी शुल्कों की कर दरें निर्धिरित थी।

लेखापरीक्षा ने 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की तीन आसवनियों जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का निर्माण करती है, के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि हिमाचल प्रदेश में इन आसवनियों द्वारा 3,66,95,631 बल्क लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का उत्पादन किया परन्तु सरकार को कोई शुल्क भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹18.29 करोड़[11] के राजस्व की अवसूली हुई।

3.3.17 बियर के निर्यात पर आबकारी शुल्क का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 36 में प्रावधान है कि मानव उपभोग के लिए किसी भी प्रकार की अल्कोहलिक शराब, जो उक्त अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार आयात, निर्यात अथवा परिवहन की गई हो, पर राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्देशित दर अथवा दरों पर आबकारी शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क, जैसा भी मामला हो, का उदग्रहण तथा भुगतान किया जाएगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2014-15 तथा 2015-16 की अवधि के दौरान एक आसवनी को निर्धारित

[11] बद्दी: मै. सबाक्स आसवनी: ₹2.07 करोड़, नुरपूर: मै. प्रीमियर अल्कोवेव: ₹2.01 करोड़ तथा ऊना: मै. रंगर ब्रिव्रिज लिमिटिड़: ₹14.21 करोड़

एल-36 पंजिका[12] के कॉलम 1 से 10 में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद बीयर की निर्यात की गई 3,151 संस्वीकृतियां जारी की गई थी जिसमें से 72,47,199 बल्क लीटर बीयर सम्मिलित थी। तथापि, निर्यात की गई बीयर पर किसी आबकारी शुल्क का उदग्रहण नहीं किया गया था जो फैक्टरी के हटाए जाने पर उदग्राह्य था। इसके परिणामस्वरूप, बीयर के निर्यात पर आबकारी शुल्क की लागू दरों के आधार पर ₹8.46 करोड़ राशि के आबकारी शुल्क का उदग्रहण एवं वसूली नहीं हुई थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि संबंधित आसवनी को उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी कर दिये गए थे।

3.3.18 बोतलीकरण फीस में ड़ी-2ए/बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंस फीस का अनियमित समायोजन

डी-2 लाइसेंसधारकों को देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के निर्माण के लिए तथा डी-2ए लाइसेंसधारकों को स्पिरिट का पुन:आसवन हेतु पॉट-स्टिल की स्थापना तथा कार्यचालन के लिए तदनुसार अनुमति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंसधारकों को निर्धारित की गई फीस का भुगतान करने पर बंधक माल गोदामों की स्थापना की अनुमति दी जाती है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने अधिसुचित (मार्च 1994) किया था कि डी-2 लाइसेंसधारक के मामले में, लाइसेंसधारक पहले भुगतान की गई फीस का अग्रिम रूप में समायोजन करेगा और इसके बाद सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लाइसेंस फीस का भुगतान होगा। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने जुलाई 2006 में भी स्पष्ट किया था कि डी-2ए लाइसेंसधारक को मात्र मसाला देशी शराब बनाने के लिए शराब को दो बार आसवन हेतु अनुमति दी जाती है तथा इस लाइसेंस के अंतर्गत कोई अन्य गतिविधियां शामिल नहीं है। लाइसेंसधारक केवल तब ही बोतलीकरण कर सकता है जब उसके पास बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंस होगा तथा उस मामले में गणना के उद्देश्य के लिए बोतलीकरण फीस बी.डब्ल्यू.एच.-2 के साथ संयोजित की जाती हैं। अत: डी-2ए एवं बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंसधारकों की लाइसेंस फीस बोतलीकरण फीस के प्रति समायोजन के योग्य नहीं है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि छ: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत 13 आसवनियों/बोतलीकरण संयत्रों ने डी-2ए तथा बी.डब्ल्यू.एच.-2 लासइसेंसधार कों की लाइसेंस फीस के आधार पर भुगतान किये गए ₹2.60 करोड़ के समायोजन के पश्चात् वास्तविक रूप से देय ₹29.40 करोड़ के प्रति ₹26.80 करोड़ की बोतलीकरण फीस का भुगतान किया था जो कि जुलाई 2006 में जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकार्य नहीं था। विभाग ने डी-2ए तथा बी.डब्ल्यू.एच.-2 लासइसेंसधारकों की लाइसेंस फीस के अनियमित समायोजन के प्रति संबंधित आसवनियों/बोतलीकरण संयत्रों पर दावा नहीं किया था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि बोतलीकरण फीस पंजाब आसवनी नियम, 1932 के नियम 5 तथा 9.5 के अनुसार देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब पर बोतलीकरण फीस डी-2ए/बी.डब्ल्यू.एच.-2 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस के प्रति समायोजन योग्य थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह जुलाई 2006 में आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत था।

[12] एक रजिस्टर जिसमें निर्यात की संस्वीकृति के लिए प्राधिकारी द्वारा दिये गए अनुमोदन आदेश को दर्ज किया जाता है।

3.3.19 शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की अवसूली

आबकारी घोषणा 2015-16 का पैराग्राफ 3.19 यह प्रावधान करता है कि एक बिक्री केन्द्र के लाइसेंस नवीकरण करने के मामले में पिछले वर्ष अर्थात 2014-15, के न्यूनतम गारंटीड कोटा के 3 प्रतिशत तक के शराब के बिक्री न हुए स्टॉक को आगामी वर्ष 2015-16 के लिए उस बिक्री केन्द्र के न्यूनतम गारंटीड कोटा की गणना में नहीं लिया जाएगा तथा लाइसेंसधारी को वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित की गई लाइसेंस फीस के 50 प्रतिशत की दर से लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर इस बिक्री न हुए स्टॉक को लेना होगा। 31 मार्च 2015 को बिक्री केन्द्र में विगत वर्ष के न्यूनतम गारंटीड कोटा के तीन प्रतिशत से अधिक शराब को बिक्री न हुआ स्टॉक की आगामी वर्ष हेतु न्यूनतम गारंटीड कोटा में गणना की जाएगी और उस स्टॉक पर निर्धारित दर पर लाइसेंस फीस प्रभारित होगी।

छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की वर्ष 2015-16 के नमूना जाँच में सामने आया कि 441 बिक्री केन्द्रों में से 126 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों के 2014-15 के 26,258 प्रूफ लीटर शराब (देशी शराबः 10,567 प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी शराबः 15,691 प्रूफ लीटर) बिक्री न हुए स्टॉक को लेखांकन नहीं किया गया था। वर्ष 2015-16 के लिए लागू योग्य लाइसेंस फीस[13] की 50 प्रतिशत की दर पर ₹35.82 लाख[14] की लाइसेंस फीस भुगतान योग्य थी। लाइसेंस फीस न तो लाइसेंसधारको द्वारा जमा करवाई गई थी और न ही आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा इसकी मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹35.82 लाख की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को लाइसेंसधारियों के लेखों का मिलान करने के निर्देश दिये गए थे।

3.3.20 आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पार-पत्रों को जारी न करना

आबकारी घोषणा वर्ष 2014-15 में प्रत्येक वर्ष के लिए कुल 2,00,80,700 प्रूफ लीटर देशी शराब का कोटा निश्चित किया था जिसमें से 18 प्रतिशत कोटा को मैहतपुर तथा परवाणू में स्थित हिमाचल प्रदेश उद्योग निगम लिमिटेड के दो संयत्रों के पक्ष में चिह्नांकित किया गया था। आबकारी नीति का जनादेश है कि यदि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा निश्चित की गई न्यूनतम मात्रा की बिक्री नहीं होती तो ₹5 प्रति प्रूफ लीटर की अतिरिक्त फीस तथा ₹7 प्रति प्रूफ लीटर की शास्ति निर्माणकर्त्ता पर उदगृहीत की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी एवं कराधान निरीक्षक द्वारा मासिक पार-पत्रों (पास) को जारी न किये जाने के मद्देनज़र वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न जिलों में मासिक आधार पर चिह्नांकित 18 प्रतिशत कोटा के बराबर 4,41,669 प्रूफ लीटर देशी शराब के वितरण में विफल रहा। अतः हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड चिह्नांकित कोटा का वितरण/बिक्री न होने के कारण ₹22.08 लाख की अतिरिक्त फीस तथा ₹30.92 लाख की शास्ति उद्ग्रहण योग्य थी। इसके अतिरिक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग को हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा चिह्नांकित कोटा की बिक्री में कमी पर मूल्य वर्धित कर की हानि हुई।

---

[13] भारत में निर्मित विदेशी शराबः ₹243/2 प्रति प्रूफ लीटर तथा देशी शराबः ₹162/2 प्रति प्रूफ लीटर

[14] बद्दीः 33 बिक्री केन्द्रः ₹8.21 लाख, मण्ड़ीः 23 बिक्री केन्द्रः₹0.29 लाख, नुरपूरः 31 बिक्री केन्द्रः ₹1.06 लाख, सिरमौरः 13 बिक्री केन्द्रः ₹2.69 लाख, सोलनः 21 बिक्री केन्द्रः ₹4.03 लाख तथा ऊनाः पांच बिक्री केन्द्रः ₹19.54 लाख

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि आबकारी घोषणा 2014-15 की शर्त 6.10 के साथ पठित 10.29 की गैर-अनुपालना के लिए कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गए थे।

3.3.21 एल-13 बिक्री केन्द्र न खोलने पर वार्षिक लाइसेंस फीस की गैर-वसूली

आबकारी उद्घोषणा 2014-15 तथा 2015-16 के पैराग्राफ 6.10 में अनुबंध है कि देशी शराब के आपूर्तिकर्त्ताओं/आसवनियों से आवंटित किए गए प्रत्येक जिले में क्रमश: ₹2.30 लाख तथा ₹2.65 लाख प्रति बिक्री केन्द्र की लाइसेंस फीस के भुगतान पर एल-13 बिक्री केन्द्र (थोक बिक्री केन्द्र) खोले जाने अपेक्षित थे। इसमें आगे प्रावधान है कि उन देशी शराब आपूर्तिकर्त्ताओं जिन्होंने 2014-15 के दौरान उनको आवंटित नहीं किये गए जिलों में 2014-15 के दौरान एल-13 बिक्री केन्द्र खोले हैं, को वर्ष 2015-16 के दौरान भी उन जिलों में अनिवार्य रूप से यह एल-13 बिक्री केन्द्र खोलने होंगे क्योंकि वर्ष 2015-16 के दौरान इनको आवंटित जिले बनाया गया है।

छ: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के एल-13 बिक्री केन्द्रों के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के देशी शराब के छ: आपूर्तिकर्त्ताओं ने 2014-16 की अवधि के दौरान उन्हें आवंटित किये गए 37 बिक्री केन्द्रों में से 19 बिक्री केन्द्रों को नहीं खोला था जिसमें से देशी शराब के वह तीन आपूर्तिकर्त्ता भी शामिल हैं जिन्होंने 2014-15 के दौरान तीन बिक्री केन्द्र खोले थे लेकिन 2015-16 के दौरान बिक्री केन्द्र नहीं खोले। इन 19 बिक्री केन्द्रों के संबंध में ₹48.95 लाख[15] की वार्षिक लाइसेंस फीस वसूलनीय थी जिसकी विभाग द्वारा संबंधित देशी शराब आपूर्तिकर्त्ताओं से मांग नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि समस्त जिला प्रभारियों को आवंटित जिले में देशी शराब के निर्माताओं द्वारा एल-13 बिक्री केन्द्रों को नहीं खोले जाने की जांच करने के निर्देश जारी कर दिये गए थे।

3.3.22 बोतलीकरण फीस, फ्रैंचाईज फीस तथा ब्याज की अल्प-वसूली

आबकारी उद्घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 5.1(30) में प्रावधान है कि आसवनी लाइसेंसधारकों द्वारा देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के बोतलीकरण के मामले में भारत में निर्मित विदेशी शराब के 750 मिली लीटर की प्रति इकाई पर ₹1 की दर तथा देशी शराब की 750 मिली लीटर की प्रति इकाई पर ₹0.80 की दर पर बोतलीकरण फीस का भुगतान किया जाएगा। आबकारी उद्घोषणा के खंड 30 के अंतर्गत राज्य के बाहर स्थित अन्य आसवनियों तथा बोतलीकरण संयत्रों की भारत में निर्मित विदेशी शराब के बोतलीकरण पर ₹7 प्रति प्रूफ लीटर की दर पर फ्रैंचाईजी फीस उदग्राह्य होगी। खंड 4.5(क) में आगे प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारक देय तिथियों पर फीस अथवा उसके भाग के भुगतान करने में विफल रहता है तो एक मास तक 14 प्रतिशत वार्षिक पर से और उसके बाद भुगतान में विफलता की तिथि से जब तक चूक जारी रहती है, 18 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान देय होगा।

(i) 16 आसवनियों तथा बोतलीकरण संयत्रों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि सिरमौर की एक आसवनी[16] द्वारा 2015-16 की अवधि के लिए 5,21,331 इकाईयों (देशी शराब की 4,61,484 इकाईयां तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब की 59,847 इकाईयां) के बोतलीकरण हेतु ₹4.29 लाख की बोतलीकरण फीस का भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया कि उपर्युक्त

[15] बद्दी: ₹13.25 लाख, मण्ड़ी: ₹2.65 लाख, नुरपूर: ₹7.95 लाख तथा सिरमौर: ₹25.10 लाख

[16] सिरमौर: बोतलीकरण फीस: ₹4.29 लाख तथा फ्रैंचाइजी फीस: ₹3.14 लाख

लाइसेंसधारकों ने भारत में निर्मित विदेशी शराब के 44,885 प्रूफ लीटरों पर ₹3.14 लाख की राशि की फ्रैंचाईजी फीस का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹7.43 लाख की लाइसेंस फीस/ फ्रैंचाईजी फीस की वसूली नहीं हुई थी।

(ii) चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[17] की नमूना जांच में उद्घाटित हुआ कि सात आसवनियों में वर्ष 2015-16 के लिए ₹2.51 करोड़ की बोतलीकरण फीस जुलाई 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य भुगतान योग्य थी परन्तु इन लाइसेंसधारकों ने इसको सितम्बर 2015 तथा मार्च 2017 के मध्य जमा किया था। जमा करवाने में विलम्ब 2 से 378 दिनों का था जिस पर ₹5.51 लाख का ब्याज भी उदग्राह्य था। आगे, तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में पांच आसवनियों ने वर्ष 2015-16 के लिए जुलाई 2015 तथा मार्च 2016 के मध्य भुगतान योग्य ₹3.72 करोड़ की फ्रैंचाईजी फीस का भुगतान एक से 363 दिनों के विलम्ब से जमा किया था जिस पर ₹6.07 लाख का ब्याज भी उदग्राह्य था। विभाग ने बोतलीकरण फीस तथा फ्रैंचाईजी फीस के विलम्बित भुगतान पर कोई मांग नही उठाई जिसके परिणामस्वरूप ₹11.58 लाख[18] के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि जिला के प्रभारियों को चूक-कर्त्ताओं के विरूद्ध शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिये गए थे।

3.3.23 आसवनी/बंधक माल गोदामों में तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ के वेतन की अवसूली/अल्प-वसूली

हिमाचल प्रदेश में भी लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.13 तथा 9.16 के अनुसार लाइसेंसधारी अपनी आसवनी में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा कार्य पर आबकारी विभाग द्वारा निगरानी रखने के लिए सरकारी आबकारी स्थापना स्टॉफ की तैनाती करने के लिए सहमत होगा। यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो लाइसेंसधारी आसवनी में तैनात सरकारी आबकारी स्थापना स्टॉफ के वेतन के संदर्भ में मांगी गई राशि सरकारी खजाने में जमा कराएगा, किन्तु वह ऐसे स्थापना स्टॉफ के किसी सदस्य को सीधी अदायगी नहीं करेगा।

दो बोतलीकरण संयत्रों सहित संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[19] के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2015-16 के दौरान तैनात आबकारी स्थापना के लिए वेतन की ₹21.98 लाख की राशि की आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा मांग नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी देयताओं[20] की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्ड़ी ने आबकारी स्थापना के लिए वेतन को जमा करने के लिए नोटिस जारी कर दिये थे जबकि सिरमौर की आसवनियों ने इसे बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंस फीस के समायोजन का प्रावधान नहीं करते हैं।

---

17 बद्दी, मण्ड़ी, नुरपूर तथा सिरमौर

18 बद्दी: मै. सबाक्स आसवनी: बोतलीकरण फीस: ₹0.72 लाख, फ्रैंचाइजी फीस: ₹0.38 लाख, मै. हिमालयन गोल्ड़: बोतलीकरण फीस: ₹0.71 लाख, फ्रैंचाइजी फीस: ₹3.91 लाख, मै. रिकोर्ड परनोद: फ्रैंचाइजी फीस: ₹0.14 लाख, मण्ड़ी: मै. बंसध राय: बोतलीकरण फीस: ₹0.65 लाख, फ्रैंचाइजी फीस: ₹0.21 लाख, नुरपूर: मै. वी.आर.वी. फूड़: बोतलीकरण फीस: ₹1.60 लाख, फ्रैंचाइजी फीस: ₹1.43 लाख तथा सिरमौर: मै. हिल व्यू: बोतलीकरण फीस: ₹0.64 लाख, मै. यमुना ब्रिवरी: बोतलीकरण फीस: ₹0.60 लाख, मै. त्रिलोक सन्ज: बोतलीकरण फीस: ₹0.59 लाख

19 मण्ड़ी तथा सिरमौर

20 मण्ड़ी: बोतलीकरण संयत्र: ₹8.76 लाख तथा सिरमौर: बोतलीकरण संयत्र: ₹13.22 लाख

3.3.24 पुनः आसवन हेतु प्रतिदर्शों का लेखाकरण न करना

पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.17 में अनुबंध है कि लाइसेंसधारक, आवश्यकता होने पर जांच हेतु आसवनी में प्रयुक्त सामग्री अथवा तैयार की गई शराब के प्रतिदर्श लेने की स्वीकृति देगा। प्रत्येक प्रतिदर्श लाइसेंसधारक अथवा इस उद्देश्य से उसके द्वारा प्रतिनियुक्त एक उत्तरदायी प्रतिनिधि की उपस्थिति में तीन-क्वार्ट बोतलों अथवा (जब सामग्री बोतलों में न रखी जा सके) तीन पार्सलों में लिया जाएगा। एक बोतल अथवा पार्सल लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि को दिया जाएगा, दूसरे को रसायनिक जांच हेतु भेजा जाएगा और तीसरा संबंधित अधिकारी के पास रहेगा। आगे नियम 9.40(1) में प्रावधान है कि समस्त शराब, जो किसी भी रसायन अथवा किसी अन्य सामग्री के योग खराब नहीं होती है बल्कि प्रयोगशाला में खराब हो जाती है, को पुनः आसवन हेतु आसवनी को लौटाया जाएगा।

चार जिलों की सात आसवनियों/बोतलीकरण संयत्रों के अभिलेखों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के 27,804 प्रतिदर्शों में से देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के कुल 8,035 प्रूफ लीटर[21] के 18,536 प्रतिदर्शों (2014-15 तक प्रत्येक 750 मिली लीटर के 15,823 तथा 2015-16 के दौरान 180 मिली लीटर के 2,713) को पुनः आसवन हेतु वापिस ले जाना अपेक्षित था। तथापि, ये प्रतिदर्श पुनः आसवन हेतु न तो वापिस किये गए थे, न ही ये प्रतिदर्श आसवनियों/बोतलीकरण संयत्रों के अभिलेखों में पृथक रूप से संरक्षित किये गए थे, परिणामस्वरूप ₹16.99 लाख[22] (आबकारी शुल्कः ₹2.07 लाख तथा लाइसेंस फीसः ₹14.92 लाख) उगाही राशि का उदग्रहण नहीं हुआ था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि जिला के प्रभारियों को पुनः आसवन हेतु प्रतिदर्शो के लेखाकरण न करने की जांच हेतु निर्देश जारी कर दिये गए थे।

3.3.25 शराब का अल्प लेखांकन

पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के अनुसार समस्त आयातित अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल/ परिशोधित स्प्रिट/परिपक्व यवरस स्प्रिट, इत्यादि की प्राप्ति पंजिका अर्थात् डी-13ए[23] में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है। उसके बाद आयातित मात्रा के अनुसार बलेंडिंग, बोतलीकरण तथा जारी किया जाता है तथा यथोचित शुल्क का लेखांकन किया जाता है।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी के अभिलेखों की संवीक्षा में उदघाटित हुआ कि एक आसवनी[24] ने पुलिस स्टेशन परवाणू के माध्यम से जब्त की गई परिशोधित शराब के 10,000 बॅल्क लीटरों की खरीद के प्रति जून 2015 के दौरान अपनी डी-13ए पंजिका में परिशोधित शराब के 6,554 बॅल्क लीटरों का लेखांकन किया था। आसवनी के अभिलेखों में परिशोधित शराब के अल्प लेखाकन हेतु कोई कारण नहीं दिया गयाा था। परिशोधित शराब के 3,446 बॅल्क लीटरों के अल्प लेखांकन के परिणामस्वरूप ₹8.59 लाख (इसमें ₹0.56 लाख का आबकारी शुल्क, ₹0.10 लाख बोतलीकरण फीस तथा ₹7.93 लाख लाइसेंस फीस) की आबकारी उगाहियों का कम उदग्रहण हुआ।

---

[21] संपरिवर्तन सूत्रः भारत में निर्मित विदेशी शराबः 750 मिली लीटर=0.5635 प्रूफ लीटर तथा देशी शराबः750 मिली लीटर=0.375 प्रूफ लीटर

[22] बद्दीः मै. सबाक्स आसवनी ₹0.79 लाख, मै. पी.डी.एम.: ₹0.52 लाख, मै. यू.एस.एल.: ₹3.03 लाख, मै. रिकोर्ड परनोदः ₹10.82 लाख मण्डीः मै. बसंध रायः ₹0.47 लाख, नुरपूरः मै. वी.आर.वी. फूड़ः ₹0.48 लाख तथा सिरमौरः मै. यमुना ब्रिब्रूरीः ₹0.88 लाख

[23] आसवनी में प्राप्त की गई स्प्रिट का विवरण दर्शाता रजिस्टर

[24] मैसर्ज सबाक्स डिस्ट्रलरी, नालागढ़

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि आबकारी उगाहियों की वसूली हेतु निर्देश जारी किये गए थे।

3.3.26 आसवनी लाइसेंस का अनियमित नवीकरण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला सिरमौर के अंतर्गत एक आसवनी से (₹56.18 मूल्य वर्धित कर, ₹3.52 लाख फ्रैंचाइजी फीस, ₹10.98 लाख बोतलीकरण फीस-(2015-16 की चौथी तिमाही तथा 2016-17 की प्रथम तिमाही), ₹14.87 लाख का स्टॉफ का वेतन तथा ₹3.99 लाख की शास्ति) के आधार पर ₹89.54 लाख की वसूली योग्य राशि को वसूल करने के वाबजूद भी उस आसवनी का लाइसेंस 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए नवीकृत किया गया था। आसवनी के लाइसेंस के नवीकरण का प्रस्ताव सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर द्वारा इस आधार पर अनुशंषित किया गया था (नवम्बर 2016)कि लाइसेंसधारक समस्त पोस्ट डेटिड चैकों का निपटान करने और समय पर मूल्य वर्धित कर, आबकारी शुल्क एवं फीस, इत्यादि की समस्त चालू दायित्ताओं का भुगतान करने के वचन के साथ बकायों हेतु 10 पोस्ट डेटिड चैकों को जमा करवायेगा। विफलता के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संयोग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ₹69.51 लाख की अन्य शास्ति रोक दी गई थी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर ने अपने उत्तर में आसवनी से वसूल की गई राशि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया था।

जिला सिरमौर के अंतर्गत अन्य आसवनी के मामले में आसवनी से 2006-07 से 2008-09 के लिए वसूली हेतु लम्बित पड़ी राशि ₹1.94 करोड़ के मूल्य वर्धित कर, ₹11.64 लाख की बोतलीकरण फीस (2016-17 के प्रथम एवं द्वित्तीय तिमाही) तथा ₹4.33 लाख का स्टॉफ वेतन अर्थात कुल ₹2.10 करोड़ को वसूल नहीं करने के बावजूद 2016-17 के लिए आसवनी का लाइसेंस का नवीकरण किया गया था।

अत: दो आसवनियों के लाइसेंसों को विभागीय देयताओं के गैर-निपटान के वाबजूद लाइसेंसों को नवीकृत किया गया था और निरूद्ध अथवा खारिज़ नहीं किया गया था। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन ने 2006-07 से 2008-09 तक के निर्धारण वर्षो से संबंधित ₹1.94 करोड़ के मूल्य वर्धित कर के बकायों को हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा एक आसवनी के मामले को निर्धारित किया गया था तथा देयों के निपटान के लिए ₹5.00 लाख प्रति मास का भुगतान करने को निर्देश दिया गया था, जबकि अन्य आसवनी ने समस्त देयों को जमा करवा दिया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं किया गया है क्योंकि आसवनी लाइसेंस कुछ शर्तों की अनुपालना पर नवीकृत किये गए थे लेकिन लाइसेंसधारकों से लम्बित देयों की वसूली की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं था।

3.3.27 होलोग्रामों की कमी

पंजाब आसवनी नियमावली के नियम 9.37 में प्रावधान है कि एक लाइसेंसधारक प्रत्येक मास के पहले व 15वें दिन आबकारी एवं कराधान निरीक्षक को सकल संख्या में खाली बोतलों के भंड़ार की मात्रा प्रतिवेदित करेगा और आबकारी एवं कराधान निरीक्षक के चाहने पर उसको मात्रा की जांच करने की स्वीकृति देगा। आबकारी घोषणा 2014-15 के खंड 6.4(ख) द्वारा देशी शराब की बोतलों पर पिल्फर प्रूफ सील/होलोग्राम लगाने का प्रावधान करती है। आसवनियों/बोतलीकरण संयत्रों द्वारा होलोग्राम आबकारी एवं कराधान आयुक्त से प्राप्त किये जाते है और आसवनी में तैनात आबकारी एवं

कराधान निरीक्षक द्वारा होलोग्राम स्टॉक पंजिका में होलोग्राम की प्राप्ति एवं निर्गत का ब्यौरा रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उदघाटित हुआ कि बद्दी स्थित एक आसवनी में सितम्बर 2014 में 9,10,098 होलोग्रामों का इति शेष 7,10,098 के रूप में आगे ले जाया गया था जिसके परिणामस्वरूप आसवनी[25] में 2,00,000 होलोग्रामों की कमी हुई। यह 2,00,000 देशी शराब की बोतलों के गलत उपयोग सहित भरा था, जिसमें ₹9.10 लाख आबकारी शुल्क से अंर्तग्रस्त देशी शराब के 75,000 प्रूफ लीटर का बोतलीकरण हो सकता था ।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि मामले की जांच करने के निर्देश जारी किये गए थे।

3.3.28 आबकारी बैरियरों के माध्यम से अप्रभावशाली नियंत्रण

शराब की अन्तर्राज्यीय तस्करी तथा अवैध आसवन को नियंत्रण करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने 1998 में निर्देश जारी किये थे जिसमें समस्त बहु-उद्देशीय बैरियरों में तैनात आबकारी स्टॉफ को 'आबकारी जांच पंजिका' का अनुरक्षण करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें शराब की खेपों का सम्पूर्ण विवरण अर्थात मूल दस्तावेज, परिवहन का उचित मार्ग, परमिट संख्या, पास संख्या का पूर्ण ब्यौरा, वैद्यता अवधि, आसवनी का नाम तथा प्रेषिति का नाम, इत्यादि दर्ज होगा।

चार बहुउद्देशीय बैरियर की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि खेपों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किये बिना आबकारी जांच पंजिकाओं का अनुरक्षण किया गया था और उसमें अभिलेखित प्रविष्टियां स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं थी। जिला सिरमौर में 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान एक मद्यनिर्माणशाला की 502 निर्यात खेपों की नमूना जांच में उद्घाटित हुआ कि 1,30,816 बॅल्क लीटर बीयर से युक्त 26 खेपों जिनमें ₹21.70 लाख का आबकारी शुल्क अंतर्गस्त था, की गोविन्दघाट तथा बेहराल स्थित बहुउद्देशीय बैरियर में अनुरक्षित आबकारी जांच पंजिकाओं में प्रविष्टि नहीं की गई थी।

बहुउद्देशीय बैरियर, परवाणू की आबकारी जांच पंजिका लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। संयोगवश, जिला सोलन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मद्यिनर्माणशाला[26] में निर्मित बीयर का सम्पूर्ण निर्यात इस बैरियर से पास हुआ जिसकी जांच नहीं की जा सकती थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि समस्त बहुउद्देशीय बैरियरों के प्रभारियों को बहुउद्देशीय बैरियरों पर उचित रूप से पठनीय 'आबकारी जांच पंजिकाओं' का अनुरक्षण करने का निर्देश दिया गया था। जिला सिरमौर के मामले में उत्तर प्रतीक्षित है।

3.3.29 आसवनियों के अभिलेखों के अनुरक्षण में अनियमितताएं

पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.13 के अनुसार आसवनी, नियमावली की उचित अनुपालना तथा निगरानी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी आबकारी स्थापना की तैनाती के लिए सहमत होगी। 16 आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच में उद्घाटित हुआ कि:

i. जिला सिरमौर तथा नुरपूर की अधिकतर आसवनियों में एक प्रभार के आधार पर आबकारी स्टॉफ की तैनाती नहीं की गई थी अथवा बार-बार उन्हें स्थानान्तरित किया गया था।

[25] बद्दी की एक डिस्ट्रल्री

[26] सोलन की एक आसवनी

ii. अधिकतर आसवनियों में तैनात आबकारी एवं कराधान निरीक्षक आसवनियों की कार्यप्रणाली में प्रवीण/पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं थे, जिससे अभिलेखों का अनुरक्षण और/अथवा उनकी गतिविधियों का पर्यवेक्षण अत्यधिक बाधित हुआ।

iii. अधिकतर आसवनियों में अभिलेखों का अनुरक्षण उचित तथा पर्याप्त नही था जिससे लेखापरीक्षा में आसवनियों की गतिविधियों की उचित संवीक्षा प्रभावित हुई।

3.3.30 औषधीय एवं प्रसाधन की चीजे

भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्कोहलिक शराब, अफीम, भारतीय गांजा अथवा अन्य मादक ड्रगों पर आबकारी शुल्क का उदग्रहण राज्य का विषय है। लेकिन उपर्युक्त उल्लिखित अल्कोहलिक तथा अन्य मदों से युक्त औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थो पर आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण संघीय विषय है। तद्नुसार, औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ आबकारी अधिनियम 1955 और उसके अंतर्गत 1956 के नियम अल्कोहल, अफीम, भारतीय गांजा अथवा अन्य मादक ड्रग अथवा मादक पदार्थ से युक्त औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थो पर आबकारी शुल्क उदग्रहण व वसूली का प्रावधान करते हैं। उदगृहित शुल्क राज्य आबकारी विभाग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वसूला तथा प्रयोग किया जाएगा।

औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थो के निर्माण हेतु निर्माताओं को अधिनियम के अंतर्गत राज्य आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना होता है और राज्य में आसवनियों/बाँडेड गोदामों से अथवा राज्य के बाहर से स्पिरिट प्राप्त करनी होती है, लेकिन आपूर्ति संबंधित पदार्थो के सूत्र के अनुरूप मात्रा में की जाती है। कारखानों को 'बांडेड तथा गैर-बाँडेड' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बांडेड कारखाने से अभिप्राय अल्कोहल, अफीम, भारतीय गांजा तथा अन्य मादक दवाओं अथवा मादक पदार्थो जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, से युक्त औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थो के निर्माण तथा भंडारण के लिए अनुमोदित तथा लाइसेंस प्राप्त परिसरों अथवा परिसरों के किसी भाग से हैं। दूसरे शब्दों में, बांडेड कारखाने शुल्क का भुगतान किये बिना स्पिरिट प्राप्त करतें है और इनसे शुल्क का भुगतान तब अपेक्षित होता है जब इन गोदामों से अल्कोहल, स्पिरिट, आदि से युक्त औषधी जारी की जाती है। 'गैर-बाँडेड कारखानों' से अभिप्राय अल्कोहल, अफीम, भारतीय गांजा तथा अन्य मादक दवाओं अथवा मादक पदार्थो जिन पर शुल्क का भुगतान किया जा चुका, से युक्त औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थो के निर्माण एवं भंड़ारण हेतु अनुमोदित तथा लाइसेंस प्राप्त परिसरों अथवा परिसरों के किसी भाग से है।

प्रत्येक व्यक्ति जो औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थो के निर्माण के संचालन में संलिप्त होना चाहता है, से लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त किया जाना अपेक्षित है जिसको निर्धारित फीस के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष नवीकृत करवाना होता है। ड्रग अधिनियम 1940 के अंतर्गत लाइसेंस की प्राप्ति औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम, 1955 के अंतर्गत लाइसेंस देने हेतु पूर्वापेक्षित है।

3.3.30.1 राजस्व वसूली का अपूर्ण डाटा

i. लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने सात जिलो[27] के 105 लाइसेंसधारकों की सूची उपलब्ध करवाई थी जिसमें से 2016-17 के दौरान 54 लाइसेंसधारकों ने अपने लाइसेंस नवीकृत करवाए थे और शेष 50 (एक लाइसेंसधारक को छोड़कर जिसको निरस्त किया गया था) ने अपने लाइसेंस नवीकृत नहीं करवाए थे। विगत चार वर्षो के दौरान लाइसेंसों के नवीकरण की प्रास्थिति आबकारी एवं कराधान विभाग अथवा जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं

[27] बद्दी, कांगड़ा, मण्ड़ी, नुरपूर, सिरमौर, सोलन तथा शिमला

करवाई गई थी। आगे जिला अधिकारियों द्वारा ऐसे लाइसेंसधारकों के ब्योरे से युक्त अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गए थे, जिससे आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता इंगित हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 105 लाइसेंसधारकों में से 96 लाइसेंसधारकों के लाइसेंस वर्ष 2016-17 के लिए नवीकृत किये गए थे और शेष लाइसेंसों का नवीकरण लम्बित था।

ii. औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम तथा ड्रग अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गए लाइसेंस में विनिर्दिष्ट पदार्थों मात्र का निर्माण करने वाले लाइसेंसधारकों के संबंध में पूछे जाने पर कोई ऐसे अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए थे। अत: आबकारी शुल्क के गैर/अल्प उद्ग्रहण की प्रास्थिति लेखापरीक्षा में जांची नहीं जा सकी ।

आबकारी एवं कराधान विभाग ने औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम, 1955 के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के क्रियान्वयन हेतु 2015-16 के राजस्व डाटा के अंश के रूप में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹74.60 करोड़ आबकारी शुल्क की वसूली सूचित की थी। तथापि, आबकारी एवं कराधान विभाग ने औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आबकारी शुल्क की वसूली का चालान वार/पार्टी वार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं करवाया था।

iii. इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वसूली के संबंध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर जिला बद्दी को छोड़कर किसी भी जिले ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे। इससे परिलक्षित होता है कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई राजस्व निगरानी नहीं की गई है। राजस्व संग्रहण के जिला-वार/पार्टी-वार ब्यौरे के अभाव में राजस्व संग्रहण की सटीकता/विश्लेषण प्रवृति को लेखापरीक्षा में प्राप्त नहीं किया जा सका।

iv. वर्ष 2014-15 (₹56.27 करोड़) तथा 2015-16 (₹51.69 करोड़) के दौरान उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला बद्दी द्वारा की गई राजस्व वसूली की समीक्षा में उद्घाटित हुआ कि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व वसूली ₹4.58 करोड़ तक कम हुई थी जिसके लिए लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर भी विभाग द्वारा कोई कारण उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 105 लाइसेंसधारकों में से 96 लाइसेंस वर्ष 2016-17 के लिए नवीकृत किये गए थे और शेष लाइसेंसों का नवीकरण लम्बित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उचित अभिलेखों के न होने से 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान लाइसेंसों के नवीकरण की जांच नहीं की जा सकी थी।

3.3.30.2 आबकारी शुल्क की गैर-वसूली के कारण राजस्व की हानि

उड़न दस्ते (दक्षिण जोन) परवाणू के दल ने विशिष्ट सूचना के आधार पर औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री (आबकारी शुल्क) नियमावली 1956 के नियम 113 तथा 115 के अंतर्गत 24 नवम्बर 2012 को नालागढ़ स्थित निर्माण इकाई का निरीक्षण किया था। लाइसेंसधारक अन्य कॉस्मैटिक तथा प्रसाधन उत्पादों के अतिरिक्त स्प्रे-इत्रों, डी-ओडोराइजड स्प्रे तथा ऑफ्टर सेव लोशनों के निर्माण में लिप्त है। स्प्रे-प्रफ्युम, डी-ओडोराइजड स्प्रे तथा आफ्टर सेव लोशनों के निर्माण में राज्य के बाहर से आयातित

कच्ची सामग्री (प्रीमिक्स कंपाउंड) का प्रयोग किया गया है, जिसमें अल्कोहल मात्रा होने का संदेह था और इसलिए जांच की गई थी। लाइसेंसधारक के अंतिम उत्पाद औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1955 की धारा 2(के) के अनुसार प्रसाधन सामग्री होते हैं और इसलिए शुल्क देय वस्तु थे। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 तथा औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ नियमावली, 1956 के नियम 6 के अंतर्गत उन पर आबकारी शुल्कों का उद्ग्रहण किया जाना है। आगे, नियम की धारा 4 तथा नियमावली के नियम 7 अथवा 8 के अंतर्गत छूट/माफी प्राप्त नहीं थी। उड़न दस्ते के निरीक्षण के आधार पर उद्घाटित हुआ कि:

i. निर्माता ने लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कभी आवेदन नहीं किया था जो कि निर्माता का वैधानिक दायित्व था;

ii. निर्माता उच्च प्रतिशतता में अल्कोहल से युक्त पूर्व-मिक्स यॉगिक का आयात कर रहा था जिसके बारे में विभाग को सूचना नहीं दी गई जैसा कि अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित है; तथा

iii. निर्माता इन शुल्क देय वस्तुओं पर अंतर्ग्रस्त शुल्कों के भुगतान में विफल रहा था।

उपर्युक्त अनियमितताओं के मद्देनज़र निर्माता ने अधिनियम की धारा 6 तथा नियमावली के नियम 9 के उप-नियम(1) का उल्लंघन किया था। तद्नुसार, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उड़न दस्ता (दक्षिण जोन), परवाणू ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त से दंड़ात्मक कार्रवाई तथा निर्माता द्वारा अल्कोहल युक्त शुल्क देय वस्तुओं के निर्माण के आरम्भ से अदा नहीं किये गए शुल्कों की वसूली आरम्भ करने की अनुशंसा (29 नवम्बर 2012) की। औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ नियमावली, 1956 के नियम 123 के अंतर्गत मामले का अधिनिर्णय करने की भी अनुशंसा की गई थी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने समाहर्ता (दक्षिण जोन), शिमला से मामले की विस्तृत जांच करने के लिए (जनवरी 2013) कहा था और उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के सकल उल्लंघन वाली गतिविधियों से युक्त विस्तृत कार्रवाई प्रतिवेदन देने को कहा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग मामले का निपटान करने में विफल रहा और मामला अनुचित रूप से (नवम्बर 2014) अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण जोन), शिमला को इस आधार पर हस्तांतरित किया गया था कि 29 अगस्त 2014 को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान निर्माता के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि इस मामले का निपटान उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता), परवाणू के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और आयुक्त की शक्तियां जोनल प्रभारी अथवा समाहर्ता, दक्षिण जोन के पास है। तथापि, उपर्युक्त आदेश तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) के अभिलेखों से उद्घाटित हुआ कि लाइसेंसधारक ने 2009-10 से आबकारी योग्य वस्तुओं की बिक्री मात्रा प्रस्तुत नहीं की थी। यह अभिलिखित किया गया था कि आदेश को सुरक्षित रखा गया था, इसको शीघ्र ही जारी किया जाना था और व्योहारी को सूचित किया जाना था।

विभाग ने लेखापरीक्षा में इसे पूछे जाने पर उत्तर (जून 2017) दिया कि उड़न दस्ते (दक्षिण जोन) द्वारा मामले का पता लगाया गया तथा प्रतिवेदित किया गया इसे उचित जांच तथा संवीक्षा हेतु उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) को वापिस हस्तांतरित किया गया था (अगस्त 2017)।

इस प्रकार, विभाग की जांच और निर्णय लेने में असफल होने से 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान आबकारी शुल्क की वसूली न होने के कारण ₹66.07 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ।

नुकसान 2009-10 और 2010-11 के जीटीओ के निर्धारण से और बढ़ेगा, जो विभाग के हिमटास सॉफ्टवेयर पर भी उपलब्ध नहीं था । लाईसेंसधारी नवम्बर 2012 में पता चलने के बाद भी आबकारी अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत नहीं हुए थे।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि जांच का मामला उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता), परवाणू के पास लम्बित था जिसको प्राथमिकता के आधार पर जांच का निपटान करने का निर्देश दिया गया था।

3.3.30.3 आबकारी शुल्क की अस्वीकार्य छूट

औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ नियमावली, 1956 के नियम 97 में प्रावधान है कि वस्तुओं जिन पर शुल्क का भुगतान किया गया है, का शुल्क की छूट हेतु दावे के अंतर्गत निर्यात किया जाएगा। नियम 14 में आगे प्रावधान है कि संग्राहक सरकार भारत से बाहर निर्यात किये जाने पर शुल्क देय वस्तुओं पर शुल्क के भुगतान की छूट देगी। नियम 103 के अनुसार वस्तुओं के निर्यात पर आबकारी शुल्क की छूट कुछ शर्तो की पूर्ति के अधीन ही स्वीकार्य है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना के अभिलेखों की संवीक्षा में उदघाटित हुआ कि एक लाइसेंसधारक प्रसाधन सामग्री (फॉग सुगंध-बॉडी स्प्रे) के निर्माण व निर्यात में लिप्त था। आबकारी एवं कराधान विभाग ने फर्म द्वारा किये गए निर्यातों पर ₹5.33 करोड़ के आबकारी शुल्क की वापसी/समायोजन की स्वीकृति (फरवरी 2014 से नवम्बर 2015) प्रदान की थी। वापसी/समायोजन मूल कोषागार प्राप्तियों सहित भुगतान के उचित सत्यापन के पश्चात ही स्वीकृत किया जाना था और समायोजन की जा रही धनराशि वास्तविक रूप से जमा करवाई गई थी, समायोजित धनराशि पहले समायोजित नहीं की गई थी तथा लाइसेंसधारक के विरूद्ध कोई बकाया नहीं था। तथापि, ऐसे निर्देशों की अनुपालना सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी के अभिलेखों में नहीं पाई जा सकी थी।

राज्य सरकार ने विधि विभाग से परामर्श के पश्चात निर्णय (मार्च 2016) लिया कि औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत छूट स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्यात निर्माता (लाइसेंसधारक) द्वारा नहीं किये गए थे बल्कि तीसरी पार्टी द्वारा किये गए थे जिसके साथ लाइसेंसधारक ने अनुबंध किया था जो कि आरंभ से ही अमान्य था। राज्य सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग से इस मामले में आगामी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। परिणामतया आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा ₹6.65 करोड़ की अतिरिक्त आबकारी छूट की स्वीकृति नहीं दी गई थी। अत: राज्य सरकार के स्पष्टीकरण से पूर्व स्वीकृत की गई ₹5.33 करोड़ की अस्वीकार्य छूट की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि पहले किये गए रिफंड के उत्क्रमण की जांच की रही थी।

3.3.30.4 औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ लाइसेंसधारकों के उत्पादों के रसायनिक परीक्षण का संचालन न किया जाना

औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ (आबकारी शुल्क) नियमावली, 1956 के नियम 53 के अंतर्गत आबकारी अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में कारखाना स्थित है, निर्माता को पूर्व सूचना दिये बिना प्रत्येक मास में न्यूनतम एक बार तैयार भंड़ार में से अल्कोहल युक्त औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री की कुल संख्या में से न्यूनतम 13 प्रतिशत तथा अधिकतम 15 प्रतिशत का प्रतिदर्श लेगा और उनको परीक्षण हेतु

रसायन परीक्षक के पास भेजेगा। यदि प्रूफ स्ट्रेंथ ऐसी बोतलों पर चिपकाए गए लेबलों पर निर्माता द्वारा घोषित स्ट्रेंथ से 3 प्रतिशत प्रूफ स्पिरिट से अधिक है तो निर्माता ऐसी निर्मित मात्रा पर शुल्क में अंतर की 10 गुना दर पर शास्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी है लेकिन ₹2000/ से अधिक नहीं।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी मे अपने उत्तर में पुष्टि की कि कारखाने से उत्पादों को हटाने से पूर्व कोई रसायनिक परीक्षण नहीं किया गया था। शेष दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने प्रतिदर्शो के रसायनिक परीक्षण के संचालन के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। अत: निर्मित उत्पादों की अल्कोहलिक स्ट्रेंथ के आधार पर आबकारी शुल्क के आरोपण की शुद्धता संदेहास्पद थी।

3.3.30.5 औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ इकाईयों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत न करना

औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ नियमावली, 1956 के नियम 41 तथा 56 में प्रावधान है कि लाइसेंसधारक उचित फार्मो एवं पंजिकाओं में लेखों का अनुरक्षण करेगा और प्रत्येक मास की 5 तारीख तक कार्यालय प्रभारी को फार्म आई.टी.-1 एवं आई. टी.-2 में पूर्व मास के संबंध में व्यापार के लेन-देनों की विवरणी देगा।

लेखापरीक्षा में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी के अभिलेखों की नमूना जांच की गई और पाया कि 62 पंजीकृत लाइसेंसधारियों में से मात्र 11 लाइसेंसधारी ही विवरणियां प्रस्तुत कर रहें थे और आबकारी शुल्क का भुगतान कर रहें थे। शेष 51 फर्में विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर रही थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि जिला प्रभारियों को विवरणियों को समयबद्ध प्रस्तुतीकरण हेतु तुरन्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए थे।

3.3.31 राज्य आबकारी शुल्क का अपवंचन

विभिन्न विभागीय/पुलिस प्राधिकरणों द्वारा पता लगाए गए राज्य आबकारी शुल्क अपवंचन मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा और उनका अंतिम रूप नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका-3.4: राज्य आबकारी शुल्क के अपवंचन मामले

वर्ष	अथ शेष	पता लगाए गए मामले	कुल	मामलो का निर्णय/अतिरिक्त मांग		मामलो का इति शेष
				मामले	(₹लाख में)	
2011-12	3	42	45	43	2.76	2
2012-13	11	1,174	1,185	1,140	171.00	45
2013-14	45	4,242	4,287	4,235	191.99	52
2014-15	52	275	327	284	49.34	43
2015-16	43	3,889	3,945	2,367	270.64	33
योग					**685.73**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

विभिन्न जिलों द्वारा उपलब्ध करवाए गए ब्यौरों/आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित उदघाटित हुआ:

i. जांच सम्पन्न होने पर उठाई गई आबकारी शुल्क की अतिरिक्त मांग की वसूली की निगरानी हेतु कोई तंत्र नहीं था।

ii. 2015-16 के दौरान निपटाए गए मामलों के आधार पर लम्बित मामलों की संख्या 1,578 थी जिसके प्रति आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा मात्र 33 मामले इति शेष के रूप में सूचित किये गए थे। लेखापरीक्षा को 1,545 अपवंचन मामलों का अंतर स्पष्ट नहीं किया गया था।

iii. दो मामलों जो 28 जुलाई 2015 को पता लगाए गए थे और समाहर्ता आबकारी (केन्द्रीय जोन) को अग्रेषित किये गए थे, लगभग दो वर्षों के बीतने के बावजूद अब भी निपटान हेतु लम्बित पड़े थे।

3.3.32 राज्य आबकारी शुल्क के रिफंड़

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 के अध्याय 19 का नियम 19.17 जो राजस्व की माफी अथवा रिफंड़ से संबंधित है, प्रत्येक मामले में आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा बिना किसी सीमा तथा उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा ₹1,500 तक आबकारी राजस्व की गलत वसूली के रिफंड़ की संस्वीकृति का प्रावधान करता है। आबकारी एवं कराधान विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राज्य आबकारी शुल्क के रिफंड़ निम्न ब्यौरों के अनुसार विभिन्न व्यापारियों को संवितरित किये गए थे:

तालिका-3.5: आबकारी शुल्क के रिफंड़

₹लाख में

क्रम संख्या	जिले का नाम	वर्ष	राशि
1.	शिमला	2013-14	46.97
2.	शिमला	2015-16	35.64
3.	कांगड़ा स्थित धर्मशाला	2013-14/2015-16	16.92
4.	सिरमौर	2015-16	18.24
5.	बिलासपुर	2011-12/2015-16	30.85
योग			**148.62**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम 19.17 के प्रावधानों के उल्लंघन में लाइसेंस फीस, वार्षिक फीस, अधिक जमा करवाई गई राशि, गैर-अनुमोदित आवंटन, रद्द आवंटन, गलत फीस जमा करवाना, इत्यादि के प्रति रिफंड़ किये गए थे। आगे, कांगड़ा, सिरमौर तथा बिलासपुर जिलों के मामले में संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का नाम भी अभिलिखित नहीं था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया था कि वर्ष 2015-16 के दौरान जिला ऊना में व्यापारियों के नाम, रिफंड़ की संस्वीकृति/निर्गत की तिथि, आदि के बिना ₹88.58 लाख के रिफंड़ दिये गए थे और इसलिए रिफंड़ों की ग्राह्यता की जांच नहीं की जा सकी थी। रिफंड़ों के निर्गत से पूर्व मूल कोषागार प्राप्तियों के साथ जमा, लाइसेंसधारकों के विरूद्ध कोई लम्बित बकाया न होने, आदि के साक्ष्य की उचित जांच की प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को रिफंड़ मामलों का अपेक्षित पंजिका बनाने के निर्देश दिये गए थे।

3.3.33 आतंरिक नियंत्रण

3.3.33.1 आतंरिक लेखापरीक्षा

आतंरिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन आतंरिक लेखापरीक्षा को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए तथा इस तरह संचालित किया जाना चाहिए कि समस्त आतंरिक नियंत्रण कार्य प्रभावशाली ढंग से कार्य करें। आतंरिक लेखापरीक्षा की सफलता वस्तुनिष्ठता, विभाग के भीतर विभिन्न वर्टिकलों/कार्यो की कवरेज, आतंरिक कार्यो को करने के लिए पर्याप्त, योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति, रिर्पोटिंग प्रणाली तथा अंततः आतंरिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षो पर कृत कार्रवाई पर निर्भर करता हैं। यद्यपि, आबकारी एवं कराधान विभाग ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त के प्रत्यक्ष प्रभार के अंतर्गत मुख्यालय में स्थित आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया/दिशा-निर्देश (फरवरी 1987) जारी किये थे। चयनित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/आसवनियों की नमूना जांच में उजागर हुआ कि क्षेत्रीय इकाईयों में अधिकांशतः आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकांशतः लोक लेखा समिति के ड्रॉफ्ट पैराग्राफ/कृत कार्रवाई के प्रत्युत्तरों से संबंधित है।

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा जिला शिमला में ₹73.00 लाख के गबन को पकड़ने के कारण आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने (जनवरी 2015) नियमित आधार पर समस्त संबंधित जिलों की लेखापरीक्षा करवाने हेतु निर्देश जारी किये गए थे।

आगे, विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा जिला शिमला में ₹73.00 लाख का गबन पकड़ने के कारण आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने नियमित आधार पर समस्त राजस्व जिलों की लेखापरीक्षा हेतु निर्देश (जनवरी 2015) जारी किये गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी ने समस्त आबकारी एवं कराधान अधिकारयों/आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को एल-2 तथा एल-14 के लाइसेंसधारकों[28] द्वारा जमा करवाई गई मासिक लाइसेंस फीस/अन्य उगाहियों का संबंधित कोषागारों/ई-कोष के साथ मिलान को (फरवरी 2015) निर्देश दिया। तथापि, राजस्व का ऐसा कोई मिलान विभाग/सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालयों के अभिलेखों में प्राप्त नहीं किया जा सका था। अतः लाइसेंसधारकों द्वारा देयों के भुगतान के समर्थन में झूठे/जाली चालानों की पुर्नरावृत्ति और इसके परिणामस्वरूप विभाग को राजस्व की हानि को लेखापरीक्षा में नकारा नहीं जा सकता था।

आगे, विभाग में कोषागारों के साथ-साथ वित्त लेखों के साथ आवधिक मिलान का तंत्र भी विद्यमान नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप विभागीय राजस्व आंकड़ों तथा वित्त लेखों के आंकड़ों में महत्वपूर्ण अंतर था और राज्य आबकारी शुल्क राजस्व के अंतर्गत गैर-राज्य आबकारी शुल्क राजस्व के पुस्तांकन के उदाहरण भी थे।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) इस अनियमितता का कारण स्टॉफ की कमी बताया और स्टॉफ की तैनाती के मामले पर सरकार के साथ चर्चा की जा रही थी।

[28] एल-2: भारत में निर्मित विदेशी शराब का प्रचून बिक्री केन्द्र तथा एल-14: देशी शराब का प्रचून बिक्री केन्द्र

3.3.33.2 विभागीय निरीक्षण

(i) आबकारी एवं कराधान विभाग ने प्रत्येक स्तर पर विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण हेतु मासिक सारणी निर्धारित की थी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने भी औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के लिए मासिक आधार पर आसवनियों, मद्यनिर्माणशालाओं, वांटेंड गोदामों, वाइनिरियों तथा अन्य कारखानों के विभागीय निरीक्षणों के लिए मासिक आधार पर जिलें में समस्त थोक बिक्री विक्रेताओं के परिसरों/गोदामों के निरीक्षण हेतु (सितम्बर 2012) मानदंड़ निर्धारित किये थे। आगे, आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने शराब की शेष मात्रा तथा गुणवता की बिक्री सुनिश्चित करने हेतु प्रचुन बिक्री केन्द्रों के निरीक्षण हेतु (मई 2015) निर्देश जारी किये थे। आबकारी एवं कराधान विभाग ने शराब की मिलावट की संभावना समाप्त करने के लिए शराब की बोतलों पर होलोग्राम की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु शराब की बोतलों पर होलोग्राम लगाना और होलोग्राम किटें आरम्भ की थी। क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्येक मास में न्यूनतम दो बार होलोग्राम परीक्षण किटों के साथ उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शराब बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करने और आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

अभिलेखों की नमूना जांच में उद्घाटित हुआ कि निर्धारित मानदंड़ों के अनुसार अपेक्षित 1890 निरीक्षण/औचक जांचों के प्रति मात्र 52 निरीक्षण/औचक जांच हुई थी, परिणामत: आसवनियों/ बोतलीकरण संयत्रों की जांच में 97.25 प्रतिशत की कमी रही जैसा कि **तालिका 3.9** में दर्शाया गया है। आगे, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/आबकारी एवं कराधान अधिकारियों/आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों द्वारा बिक्री केन्द्रों की जांच के अभिलेख लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गए सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थे।

तालिका-3.6: अधिकारियों द्वारा किये गए निरीक्षणों का ब्यौरा

क्रम संख्या	निरीक्षण अधिकारी का नाम	अपेक्षित निरीक्षण	किये गए निरीक्षण	कमी
1	आबकारी एवं कराधान अधिकारी	840	13	827
2	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त	840	34	806
3	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त	210	05	205
योग		**1,890**	**52**	**1,838**

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि क्षेत्रीय अधिकारियों को वार्षिक निरीक्षण योजना के अनुसार शराब के बिक्री केन्द्रों, आसवनी/बोतलीकरण संयत्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि अधिकारी वार्षिक निरीक्षण योजना के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित निरीक्षण करने में लगातार विफल रहें।

3.3.34 निष्कर्ष

राज्य आबकारी शुल्क का राज्य के कर राजस्व की वृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार ने बीयर की क्षति के मानदंड़ निश्चित नहीं किये गए थे, परिणामतया मद्यनिर्माणाशालाओं द्वारा क्षति के अनियमित/अस्वीकार्य दावे हुए। विभिन्न बिक्री केन्द्रों/इकाईयों को मैनुअल आधार पर कोटा उठाने हेतु पार-पत्र (पास) जारी करने की प्रणाली दोषयुक्त थी क्योंकि ऐसे उदाहरण थे कि आवंटित कोटा के प्रति लाइसेंस फीस का उद्ग्रहण किये बिना उससे अधिक पार-पत्र (पास) जारी किये गए थे।

इसके अतिरिक्त, विभाग के भीतर विभिन्न राजस्व वर्टिकलों के संबंध में कोई समन्वय नहीं था क्योंकि आसवनियां, मद्यनिर्माणशालाएं, बोतलीकरण संयत्र शराब/बीयर की बिक्री, लाइसेंस फीस, फ्रैंचाइज फीस, इत्यादि राजस्व में अशंदान करते थे। आसवनियों, मद्यनिर्माणशालाओं, बोतलीकरण संयत्रों में एकल प्रभार के आधार पर आबकारी स्थापना की तैनाती न होना/बार-बार स्थानांतरण के परिणामस्वरूप वही हो रही गतिविधियों के अपेक्षित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं हुआ। विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षणों/औचक जांचो में अत्याधिक कमी थी जिसके परिणामस्वरूप नियमों की अनुपालना में अपवंचन मामले/अन्य अनियमितताएं पकड़ी नहीं गई। कोषागार, संबद्ध अभिलेखों के साथ राजस्व ब्यौरो के आवधिक मिलान से संबंधित आंतरिक नियन्त्रण तन्त्र की भी कमी थी।

3.3.35 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:-

- ***राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए स्पिरिट तथा बीयर के उत्पादन हेतु उत्पादन तथा क्षति के मानदंड़ निश्चित करें;***
- ***आबकारी मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न बिक्री केन्द्रों/इकाईयों के साथ-साथ समग्र राज्य के लिए निश्चित किये गए शराब के कोटे की तुलना में लाइसेंसधारकों को जारी किये गए संचयी पार-पत्रों (पास) की निगरानी हेतु एक उचित तंत्र बनाए;***
- ***अपने राजस्व की सुरक्षा हेतु विभिन्न राजस्व शीर्षों के अंतर्गत आसवनियों, मद्यनिर्माणशालाओं, बोतलीकरण संयत्रों से वसूलियां अनिवार्य करें;***
- ***अधिकतम राजस्व के उद्ग्रहण हेतु औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम के प्रवर्तन की निगरानी करे;***
- ***निर्देशों/नियमावली की उत्तम अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक नियन्त्रण तन्त्र को मजबूत करने के लिए आवधिक निरीक्षणों के लिए निर्देशों का प्रवर्तन करें; और***
- ***मासिक आधार पर कोषागारों के साथ लाइसेंसधारकों से वसूलियों के मिलान हेतु एक तंत्र की स्थापना करें।***

अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

3.4 नवीकरण फीस का भुगतान किये बिना लाइसेंसों का नवीकरण

विभाग ने नवीकरण फीस को वसूल करने के लिए कार्रवाई करने की पहल नहीं की परिणामस्वरूप ₹1.45 करोड़ की अल्प-वसूली हुई।

आबकारी घोषणा 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के पैराग्राफ 3.4 (ए. एवं बी.) तथा पैराग्राफ 5 देशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब, बी.आई.ओ., बी-II के खुदरा/थोक बिक्री लाइसेंसधारियों जोकि शराब बिक्री केन्द्रों, बारों, शराब भट्टियों इत्यादि के लाइसेंसधारक है, के लिए नियत लाइसेंस फीस एवं नवीकरण फीस से संबंधित है, उनको नवीकरण का आवेदन पत्र भरते समय बिक्री केन्द्रों के मूल्य के विभिन्न स्लैबों के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए नवीकरण फीस का भुगतान करना अपेक्षित हैं। आवेदनकर्त्ता/लाइसेंसधारी को नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व मूल लाइसेंस फीस का 50 प्रतिशत तथा वार्षिक लाइसेंस फीस का 5 प्रतिशत जमा करवाना होगा तथा इस प्रकार के भुगतान का प्रूफ, आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर की शराब के बिक्री केन्द्रों के वार्षिक आवंटन की विवरणियों तथा एम.-1 रजिस्टरों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान विभिन्न लाइसेंसधारियों से नवीकरण फीस के रूप में देय ₹3.81 करोड़ की नवीकरण फीस के स्थान पर ₹2.36 करोड़ की नवीकरण फीस ही वसूल की गई थी जैसे कि नीचे दर्शाया गया है।

₹ लाख में

वर्ष	देय नवीकरण फीस	वसूल की गई नवीकरण फीस	भिन्नता
2013-14	105.60	68.28	37.32
2014-15	133.98	76.53	57.45
2015-16	141.90	91.60	50.30
योग	**381.48**	**236.41**	**145.07**

इस प्रकार, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर ने पूरी नवीकरण फीस की प्राप्ति को सुनिश्चित किये बिना लाइसेंसों को नवीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त वर्षों के दौरान ₹1.45 करोड़ की नवीकरण फीस कम जमा हुई थी। कम जमा की गई नवीकरण फीस को वसूल करने के लिए विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, परिणामस्वरूप ₹1.45 करोड़ की नवीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2017)।

3.5 न्यूनतम गारंटीड कोटा कम उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का उद्ग्रहण न करना

532 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 4,86,054 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने पर अतिरिक्त फीस ₹1.62 करोड़ का उद्ग्रहण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹15.91 लाख की शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

आबकारी घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 4.3 में यह प्रावधान है कि लाइसेंसधारी को प्रत्येक बिक्री केंद्र के लिए निर्धारित किया गया मासिक न्यूनतम गारंटीड कोटा देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब दोनों के लिए उठाना अपेक्षित होगा ऐसा न करने पर वह न्यूनतम गारंटीड कोटे के आधार पर नियत की गई लाइसेंस फीस की अदायगी करने का उत्तरदायी होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के नहीं उठाए गए न्यूनतम गारंटीड कोटा पर लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस के भुगतान के अतिरिक्त ₹10 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹56 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर अतिरिक्त फीस की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड कोटे के 100 प्रतिशत से कम होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी ₹7 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹14 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर शास्ति की अदायगी हेतु भी उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड कोटे के 80 प्रतिशत बैंच-मार्क से कम होगा। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी तिमाही आधार पर न्यूनतम गारंटीड कोटे को उठाने की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी से अतिरिक्त फीस के साथ-साथ शास्ति की राशि की वसूली सुनिश्चित करेगा।

लेखापरीक्षा ने चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[29] के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 532 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने 90,43,834 प्रूफ लीटर के मासिक न्यूनतम गारंटीड़ कोटे के प्रति 85,57,780 प्रूफ लीटर शराब उठाई थी, जिसके परिणामस्वरूप 2014-16 के दौरान 4,86,054 प्रूफ लीटर[30] (देशी शराब: 2,40,3842 प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 2,45,670 प्रूफ लीटर) कम उठाई गई थी, जिस पर ₹1.62करोड़ की अतिरिक्त फीस ऐसे बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से उद्ग्राहय थी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों या जिलों के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने ₹1.62 करोड़ की अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण नहीं किया परिणामस्वरूप ₹1.62 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 37 लाइसेंसधारियों के मामले में मासिक न्यूनतम गारंटीड़ कोटे के प्रति 1,32,644 प्रूफ लीटर 80 प्रतिशत बैंच-मार्क से कम उठाया गया था। इन लाइसेंसधारियों पर ₹15.91 लाख की शास्ति उदग्रहण की जानी अपेक्षित थी।

सरकार तथा विभाग को मामला नवम्बर 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य में प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (सितम्बर 2017) में सूचित किया कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला द्वारा ₹7.07 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के प्रयास किये जा रहें थे जबकि शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा चूक-कर्त्ताओं को नोटिस जारी किये जा रहें थे। सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

---

[29] बिलासपुर: 226 बिक्री केन्द्र: ₹13.24 लाख, धर्मशाला: 22 बिक्री केन्द्र: ₹11.02 लाख, हमीरपुर: 202 बिक्री केन्द्र: ₹22.40 लाख तथा शिमला: 82 बिक्री केन्द्र: ₹1.15 करोड़

[30]

शराब का कोटा	देशी शराब	भारत में निर्मित विदेशी शराब	कुल शराब
मासिक नियत एम.जी.क्यू.	43,81,663	46,62,171	90,43,834
एम.जी.क्यू.उठाया गया	41,41,279	44,16,501	85,57,780
एम.जी.क्यू.कम उठाया गया	2,40,384	2,45,670	4,86,054

3.6 लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

लाइसेंस फीस का भुगतान विलम्ब से किये जाने पर ₹33.31 लाख के ब्याज को विभाग द्वारा 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से वसूल नही कया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के ब्याज की अवसूली हुई ।

आबकारी घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 4.4(डी) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी एक मास के भीतर निर्धारित गांरटीड कोटा उठाने में असमर्थ है, तो उसे उस मास के लिए लाइसेंस फीस की पूर्ण मासिक किस्त की अदायगी उस मास के अंतिम दिन तक तथा मार्च मास की फीस के लिए पूर्ण रूप से अदायगी दिनांक 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। आबकारी घोषणाएं 2014-15 तथा 2015-16 के पैराग्राफ 4.5(ए) में आगे प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथियों को लाइसेंस फीस की राशि की अदायगी करने में विफल रहता है तो एक मास तक 10 एवं 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से तथा उसके बाद 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का उद्ग्रहण किया जाएगा।

चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[31] के अभिलेखों की सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने लाइसेंस फीस ₹40.90 करोड़ की राशि को देय तिथि के उपरान्त अप्रैल 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य दो से 370 दिनों के विलम्ब से जमा करवाया था। अत: वे लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगियों पर ₹33.31 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। यद्यपि, सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने संबंधित लाइसेंसधारियों पर ब्याज का उदग्रहण नहीं किया और न इसकी मांग की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹33.31 लाख[32] ब्याज की राशि की अवसूली हुई।

सरकार तथा विभाग को मामला नवम्बर 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य में प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (सितम्बर 2017) में सूचित किया कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर तथा शिमला द्वारा ₹8.99 लाख[33] की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के प्रयास किये जा रहे थे जबकि शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा चूक-कर्त्ताओं को नोटिस जारी किये जा रहे थे। सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

3.7 शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की गैर-वसूली

पिछले वर्ष के बिक्री न हुए स्टॉक को गणना में न लेने के कारण 149 बिक्री केन्द्रों के संबंध में ₹10.13 लाख की लाइसेंस फीस वसूली योग्य थी।

आबकारी घोषणाओं 2014-15 तथा 2015-16 का पैराग्राफ 3.19 यह प्रावधान करता है कि एक बिक्री केन्द्र के लाइसेंस नवीकरण करने के मामले में पिछले वर्ष अर्थात 2014-15 है, के न्यूनतम गारंटीड कोटा के 3 प्रतिशत तक के शराब के बिक्री न हुए स्टॉक को आगामी वर्ष 2015-16 के लिए उस बिक्री केन्द्र के न्यूनतम गारंटीड कोटा की गणना में नहीं लिया जाएगा तथा लाइसेंसधारी को वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित की गई लाइसेंस फीस के 50 प्रतिशत की दर से लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर इस बिक्री न हुए स्टॉक को लेना होगा ।

[31] आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर तथा शिमला

[32] आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर: 35 बिक्री केन्द्र: ₹8.86 लाख, धर्मशाला: 25 बिक्री केन्द्र: ₹6.32 लाख, हमीरपुर: 34 बिक्री केन्द्र: ₹11.36 लाख तथा शिमला: 15 बिक्री केन्द्र: ₹6.77 लाख

[33] हमीरपुर: ₹4.47 लाख तथा शिमला: ₹4.52 लाख

दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[34] के अभिलेखों की नमूना जांच से सामने आया कि पिछले वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के 9,859.28 प्रूफ लीटर शराब (देशी शराब:3,944.17 प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 5,915.11 प्रूफ लीटर) के बिक्री न हुए स्टॉक को 149 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों की गणना में नहीं लिया गया था। लाइसेंसधारियों द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए निर्धारित की गई लाइसेंस फीस[35] के 50 प्रतिशत की दर से ₹10.13 लाख की लाइसेंस फीस का भुगतान इस बिक्री न हुए स्टॉक के लिए देय था। लाइसेंस फीस की मांग न तो विभाग द्वारा की गई और न ही लाइसेंसधारियों द्वारा जमा करवाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹10.13लाख[36] की लाइसेंस फीस की गैर-वसूली हुई।

सरकार तथा विभाग को मामला नवम्बर 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य में प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (सितम्बर 2017) में सूचित किया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, धर्मशाला (कांगड़ा) तथा शिमला द्वारा ₹4.57 लाख[37] की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि की वसूली हेतु भी प्रयास किए जा रहे थे। सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

---

[34] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, धर्मशाला (कांगड़ा) तथा शिमला

[35] लाइसेंस फीस: **2014-15:** भारत में निर्मित विदेशी शराब: ₹219 तथा देशी शराब: ₹147 प्रति प्रूफ लीटर तथा **2015-16:** भारत में निर्मित विदेशी शराब: ₹243 तथा देशी शराब: ₹162 प्रतिप्रूफ लीटर

[36] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, धर्मशाला (कांगड़ा): 88 बिक्री केन्द्र: ₹4.80 लाख तथा शिमला: 61 बिक्री केन्द्र: ₹5.33 लाख

[37] धर्मशाला: ₹2.58 लाख तथा शिमला: ₹1.99 लाख